रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 28—फरवरी 3, 2017 (माघ 8, 1938)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 28—FEBRUARY 3, 2017 (MAGHA 8, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	27
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	93
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	109
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	159
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	5
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	107
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	27
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	93
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	109
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	159
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	5
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	107
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I— खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2017

सं. 3-प्रेज/2017—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. मशकूर अहमद, उप पुलिस अधीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
2. फिरोज अहमद, उप पुलिस अधीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
3. विनोद कुमार, सहायक उप निरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
4. इम्तियाज मोहम्मद, हेड कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 27/28 दिसम्बर, 2012 को एक विशिष्ट सूचना मिलने पर गांव चांदगाम पुलवामा में पुलिस, सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन और 55 आरआर द्वारा एक संयुक्त अभियान आरंभ किया गया। तलाशी अभियान के दौरान बसीर अहमद कार पुत्र गुलाम अहमद कार निवासी चांदगाम पुलवामा के घर में दो आतंकवादियों के होने की पुष्टि की गई। पहले घटनाक्रम में, उक्त मोहल्ले के चारों ओर घेरा कड़ा किया गया और सभी सिविलियनों को लक्षित मकान के साथ-साथ मोहल्ले से बाहर निकाला गया। घर में छिपे आतंकवादियों से पूरी रात बार-बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, जिसको उन्होंने अनदेखा कर दिया। अगले दिन सुबह के समय आतंकवादियों को फिर से आत्म-समर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया और इसके बदले उन्होंने अभियान दल की ओर दो ग्रेनेड फेंके और अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी। आत्म-रक्षा में जवाबी गोलीबारी की गई और आतंकवादियों तथा सुरक्षा बलों के बीच अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ हो गई जो लगभग 15 घंटे तक चली। गोलीबारी के दौरान पुलिस कैंप पुलवामा की नफरी के निकट एक ग्रेनेड फटा, जिससे वे बाल-बाल बचे। अचानक एक आतंकवादी घेरा तोड़ने और मुठभेड़ स्थल से बच निकलने के इरादे से अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए उक्त मकान से बाहर निकला। तथापि, सैन्य दलों ने प्रभावी रुप से गोलीबारी का जवाब दिया और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया।

दूसरे आतंकवादी के साथ गोलीबारी जारी रही और लगभग 1130 बजे मकान के अंदर से गोलीबारी बंद हो गई। सैन्य दलों और पुलिस दल ने कुछ देर तक इंतजार किया और उक्त मकान की तलाशी लेने के लिए 182 सीआरपीएफ सहित एसओजी पुलवामा और 55 आरआर का एक संयुक्त दल बनाया गया और फर्श पर एक आतंकवादी को मरा हुआ पाया। अंधाधुंध गोलीबारी के दौरान, पुलिस कैंप पुलवामा के हेड कांस्टेबल इम्तियाज मोहम्मद और 55 आरआर के सेना के अधिकारी नामत: तन्मय रथ आईसी-68311 एम और कैप्टन कपिल मामराज सिंह आईसी-69487 के घायल हो गए जिन्हें तत्काल उपचार के लिए श्रीनगर भेजा गया। सम्पूर्ण अभियान में एसओजी श्रीनगर के सहायक उप-निरीक्षक विनोद कुमार और हेड कांस्टेबल इम्तियाज मोहम्मद सं. 797/एपी 14वीं बटालियन के साथ मशकूर अहमद, उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) पुलवामा और फिरोज अहमद, उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) ने दक्षता और कर्मठता के साथ दल का नेतृत्व और पर्यवेक्षण किया, जिसके परिणामस्वरुप अभियान सफल रहा।

की गई बरामदगी:

i)	एके-47 राइफल	-02
ii)	एके-47 मैगजीन	-03
iii)	एके राउंड	-37
iv)	पिस्तौल (चीन में निर्मित)	-01
v)	पिस्तौल की मैगजीन	-01
vi)	राउंड(.32 चीन में निर्मित पिस्तौल)	-03
vii)	पाउच	-02
viii)	बेब बेल्ट	-01

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री मशकूर अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, फिरोज अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, विनोद कुमार, सहायक उप निरीक्षक और इम्तियाज मोहम्मद, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28.12.2012 से दिया जाएगा।

अ. राय
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 4-प्रेज/2017—राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. हरि प्रसाद साह,
   उप निरीक्षक
2. परमानंद पासवान,
   सहायक उप निरीक्षक
3. आनन्द किशोर ओस्गा,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 31.03.2006 को 8:30 बजे कुटकु गांव में विभिन्न हथियारों से लैस झारखंड-छत्तीसगढ़ के एम.सी.सी. उग्रवादियों के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त होते ही उप निरीक्षक हरि प्रसाद साह, पुलिस थाना भंडरिया ने तत्काल यह सूचना दिनांक 31.03.2006 की एस.डी. सं. 458 के तहत स्टेशन डायरी में दर्ज की और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी सहायक उप निरीक्षक परमानंद पासवान, कांस्टेबल आनन्द किशोर ओस्गा तथा पुलिस थाने में उपलब्ध केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के साथ 9 बजे कुटकु गांव के लिए रवाना हुए।

कुटकु गांव के पश्चिम में हरैया नदी के निकट पहुंचते ही दल ने अपना वाहन वहीं छोड़ दिया तथा पुलिस दल दो भागों में बंट गया। एक दल का नेतृत्व प्रभारी अधिकारी उप निरीक्षक हरि प्रसाद साह तथा दूसरे दल का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक परमानंद पासवान कर रहे थे। पुलिस दल कुटकु गांव के पश्चिम ओर स्थित मकान के निकट पहुंचा जहां उग्रवादियों (एम.एम.सी.) ने पुलिस दल का सफाया करने की अपनी स्पष्ट मंशा के साथ अंधाधंधु गोलियां चलानी शुरू कर दी जिससे पुलिस दल के कार्मिकों की जान को खतरा हो गया। उप निरीक्षक साह ने उन सभी को खतरनाक स्थिति में पाया जहां अपनी तथा पुलिस दल के सदस्यों की जान बचाने तथा हथियारों/गोलाबारूद की रक्षा करने के लिए गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उप निरीक्षक साह ने पुलिस दल को पोजिशन लेने तथा गोलियां चलाने का आदेश दिया। वे स्वयं हवलदार प्यारे लाल के साथ उग्रवादियों की ओर बढ़ने लगे, पोजिशन ली और एके-47 से गोलियां चलाने लगे जो कुछ उग्रवादियों को लगीं तथा वे गिर पड़े। लगभग 25-30 की संख्या में उग्रवादी इमली के पेड़ के समीप जमा हो गए जहां से उन्होंने पुलिस दल पर रूक-रूक कर गोलीबारी करना जारी रखा। इसी बीच उन्होंने सहायक उप निरीक्षक परमानंद पासवान के नेतृत्व वाले दूसरे पुलिस दल को वायरलेस पर उग्रवादियों की तरफ बढ़ने का निर्देश दिया। वे स्वयं कांस्टेबल विष्णु पाटिल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और कांस्टेबल आनन्द किशोर ओस्गा के साथ आगे बढ़े जिसके परिणामस्वरूप जान को जोखिम में डालकर वे अंधाधुंध

गोलीबारी के बीच एक उग्रवादी को पकड़ने में सफल हो गए जो पुलिस की वर्दी में था। दूसरी तरफ सहायक उप निरीक्षक परमानंद पासवान ने हवलदार यशपाल सिंह और हवलदार गुलाब चंद के साथ मिलकर निर्भीकता और साहस का परिचय दिया। वे पुलिस वर्दी में थे और अपनी राइफल से गोलियां चला रहे थे। बाद में गिरफ्तार उग्रवादियों ने पूछताछ में अपनी पहचान का खुलासा कोथली पुलिस थाना, शंकरगढ़, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ के सुरेन्द्र भूईहार पुत्र लक्ष्मण भूईहार तथा पाठल गांव शांति नगर, पुलिस थाना पाठल गांव, जिला छत्तीसगढ़ के गोविन्द बंजारी पुत्र अर्जुन बंजारी के रूप में किया। पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे उप निरीक्षक हरि प्रसाद साह और सहायक उप निरीक्षक परमानंद पासवान, दोनों बेहद कर्मठ और निर्भीक थे। उन्होंने उग्रवादियों का पीछा करने में पुलिस दल का नेतृत्व किया तथा गोलीबारी एवं दोनों ओर से हो रही गोलीबारी पर पकड़ बनाई और चल रही गोलीबारी की आड़ लेकर उग्रवादी बचकर जंगल की तरफ भागने लगे। इसके बाद वे पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए और पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। चूंकि उन्होंने पहाड़ी पर पोजिशन ले रखी थी इसलिए पुलिस की गोलीबारी का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। कोई रास्ता न सुझने पर हरि प्रसाद साह ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर सिंह को एक एच.ई. बम फेंकने का आदेश दिया जिसके कारण उग्रवादी डर गए और घने जंगल की ओर भाग निकले। उनका पीछा किया गया और उनकी खोज की गई लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। लौटते समय पुलिस दल ने रास्ते पर खून के कुछ धब्बे तथा किसी व्यक्ति को खींचे जाने के निशान देखे और यह समझा गया कि उग्रवादी अपने साथ कुछ घायल उग्रवादियों को लेकर गए हैं।

तत्पश्चात अभियान-क्षेत्र की पूरी तरह तलाशी लिए जाने पर अनिल करकेट्टा नामक एक ग्रामीण के मकान के निकट एक उग्रवादी का शव पाया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों द्वारा मृतक की पहचान घुघरी, पुलिस थाना शंकरगढ़, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ के परसोन तुरिया के रूप में की गई। मृतक परसोन तुरिया की तलाशी लेने पर उसके पास 315 बोर की एक सामान्य राइफल, कारतूसों भरी हुई मैगजीन, कमर पर 315 बोर के 75 जिंदा कारतूसों से युक्त काले रंग का एक विंडोलिया बाउंड पाया गया। गिरफ्तार किए गए सुरेन्द्र भूईहार के पास से मैगजीन के साथ पुलिस की 303 बोर की राइफल सं. टीडी 3527, कमर पर 303 बोर के 68 जिंदा कारतूसों से युक्त एक विंडोलिया बाउंड, राइफल की मैगजीन में भरे 303 बोर के 02 कारतूस, कमर से कारतूस से भरी 315 बोर की देशी पिस्तौल पाई गई। गोविन्द बंजारी से भरी मैगजीन सहित राइफल सं 04-4420 वाली 315 बोर की एक सामान्य राइफल, कमर पर 315 बोर के 64 जिंदा कारतूसों से युक्त एक विंडोलिया बाउंड पाया गया। अभियान-क्षेत्र की तलाशी के दौरान अन्य हथियार/गोलाबारूद और वस्तुओं सहित 01 मैगजीन सहित 315 बोर की देशी राइफल, 02. 7.62 मिमी. के 102 जिंदा कारतूसों सहित 4 विंडोलिया, 03. 202 बोर के 23 जिंदा कारतूस, 04. 315 बोर के 70 जिंदा कारतूस, 05. उग्रवादियों के रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं सहित 12 बैंक हैंगर बैग पाए गए। अभियान क्षेत्र में पाए गए हथियार/गोलाबारूद और अन्य वस्तुएं पुलिस द्वारा जब्त कर ली गईं। पुलिस दल बरामद शवों और जब्त सामग्रियों के साथ सुरक्षित पुलिस थाना पहुंचा तथा उसने एक प्राथमिकी दर्ज की।

उपर्युक्त तथ्यों एवं कई घंटों (अपराह्न 12:30 बजे से 18.00 बजे तक) तक चली इस न भूलने वाली मुठभेड के प्रत्येक क्षण बदलती परिस्थितियों का निचोड़ यह है कि नामोदिष्ट व्यक्तियों ने ड्यूटी के प्रति अगाध समर्पण के साथ साहस की अनूठी भावना प्रदर्शित की। उप निरीक्षक साह समय पर कार्रवाई करते हुए बल के साथ घटना-स्थल पर पहुंचे और पूरे जीवट और धैर्य के साथ नाजुक स्थिति का सामना किया। उनका कार्य-निष्पादन असाधारण रूप से शानदार, जबरदस्त शौर्यपूर्ण और उत्कृष्ट था। इस कार्य में सहायक उप निरीक्षक परमानन्द पासवान, जो पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे थे, तथा कांस्टेबल आनन्द किशोर ओस्गा ने भी उनको सक्रिय रूप से सहयोग दिया। यह मुठभेड़ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के साथ-साथ गढ़वा जिला पुलिस के सहयोग से सफल रही।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री हरि प्रसाद साह, उप निरीक्षक, परमानंद पासवान, सहायक उप निरीक्षक एवं आनन्द किशोर ओस्गा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31.03.2006 से दिया जाएगा।

अ. राय
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 5-प्रेज/2017—राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अश्विनी कुमार सिन्हा,
   उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी

2. प्रवीण कुमार झा,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 27.04.2010 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 134वीं बटलियन की दो टुकड़ियों, जिनका नेतृत्व उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी बरवाडीह श्री अश्विनी कुमार सिन्हा कर रहे थे तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निरीक्षक/सामान्य ड्यूटी रूप चन्द के सहयोग और लातेहर जिला पुलिस के एक संयुक्त अभियान के माध्यम से एक उत्कृष्ट कार्य को अंजाम दिया गया। दिनांक 27.04.2010 को उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी बरवाडीह श्री अश्विनी कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक पुलिस दल, जिसमें ओ सी गारू उप निरीक्षक सियाशरण प्रसाद, बरवाडीह उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी के अंगरक्षक/आरक्षित गार्ड, सीआई/जीडी रूप चंद भारद्वाज, एसटी/जीडी वेद सिंह, 134वीं बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 सशस्त्र कांस्टेबल शामिल थे, गारू पुलिस थाने से रात्रि में गश्त लगाने के लिए निकले। जब यह पुलिस दल रात्रि 07:45 बजे गांव लाडी पहुंचा, तब सीपीआई माओवादियों के दल ने पुलिस दल पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। सीपीआई माओवादियों के इस दल ने लाडी के कामेश्वर सिंह नामक एक व्यक्ति के मकान के निकट पहले से पोजीशन ले रखी थी और इसने दक्षिण-पश्चिम दिशा से आ रहे पुलिस दल पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस दल ने उपलब्ध मोर्चों पर आड़ लेकर तत्काल पोजीशन ली तथा उग्रवादियों के दल को चेताया कि "गोलियां चलाना रोको, हमारे सामने आत्मसमर्पण करो, हम पुलिस के लोग हैं"। लेकिन माओवादियों पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने ऐसा करने के बजाय अपनी गोलीबारी तेज कर दी। अपनी जान और हथियार को सुरक्षित रखने का कोई विकल्प न पाकर पुलिस दल ने जवाबी गोलीबारी आरंभ कर दी। उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी बरवाडीह श्री अश्विनी कुमार सिन्हा ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और उत्कृष्ट शौर्य, समझ और धैर्य का प्रदर्शन किया। इस कार्य में उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी का कांस्टेबल प्रवीण कुमार झा ने बड़ी बहादुरी के साथ भली भांति सहयोग किया। रात्रि होने के कारण चारों ओर घना अंधेरा था। इस विषम और कठिन परिस्थिति में पुलिस दल ने उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी बरवाडीह श्री अश्विनी कुमार सिन्हा के साहसिक एवं प्रेरणादायी नेतृत्व में लगभग एक घंटे तक उग्रवादियों से लोहा लिया। अपनी निश्चित हार का आभास पाकर सीपीआई माओवादियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया लेकिन पुलिस दल पर गोलीबारी करना जारी रखा। अंत में पुलिस के बढ़ते दवाब के कारण उग्रवादियों का दल जंगल और अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। जब मुठभेड़ समाप्त हुई, तब पुलिस दल को क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान, कामेश्वर सिंह के मकान से दक्षिण-पश्चिम दिशा में बंडोलियर के साथ काली वर्दी में एक सीपीआई माओवादी मृत पाया गया। मृतक माओवादी के पास एक .303 राइफल और एक थैला पाया गया। बंडोलियर में 81 राउंड जिंदा कारतूस मिले। थैले में पुरानी नक्सली प्रतियां, अन्य सामान तथा रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजें प्राप्त हुईं। पुलिस दल ने स्वतंत्र गवाहों, विश्राम सिंह पुत्र श्री कामेश्वर सिंह, निवासी लाडी, पुलिस थाना: बरवाडीह और जगनी देवी पत्नी राम अवतार सिंह, निवासी सुरकुमी, पुलिस थाना गारू के समक्ष तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया संपन्न की।

गांव लाड़ी, पुलिस थाना: बरवाडीह, जिला: लातेहर में रात्रि के समय पुलिस और माओवादियों के दल के बीच हुई इस भयंकर मुठभेड़ में पुलिस दल के नेतृत्वकर्ता उप पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने जबरदस्त नेतृत्व-क्षमता, समझ और अप्रतिम बहादुरी और साहस का परिचय दिया, जिससे पुलिस कार्मिकों को माओवादियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने की प्ररेणा मिली। उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी बरवाडीह उप पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा, सीपीआई माओवादियों द्वारा निशाना बनाकर की जा रही भारी गोलीबारी का जवाब देने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए विषम परिस्थितियों के बीच कूद पड़े जिनसे उनकी असाधारण बहादुरी और उत्कृष्ट शौर्य का पता चलता है जिसके कारण उग्रवादियों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए। कांस्टेबल प्रवीण कुमार झा ने भी अनुकरणीय साहसपूर्ण कार्रवाई का प्रदर्शन किया तथा नक्सलियों से लड़ने में उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी का बखूबी सहयोग दिया। इस मुठभेड़ में निरीक्षक/सामान्य ड्यूटी रूप चन्द भारद्वाज ने नेतृत्वकर्ता को पूर्ण सहयोग दिया तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 134वीं बटालियन के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी सत्येन्द्र कुमार और कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी अनिल कुमार ने भी बड़ी बहादुरी और साहस से मुकाबला किया। यह मुठभेड़ उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन का उदाहरण है, जो नक्सली गतिविधियों के खात्मे में मील का पत्थर सिद्ध होगा। इस मुठभेड़ से पुलिस का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है।

इस घटना (मुठभेड़) के संबंध में बरवाडीह पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा-147/148/149/307/353/121, आयुध अधिनियम की धारा 25 (।-ख) क/27, दंड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 17, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के तहत दिनांक 27.4.2010 के मामला सं 26/10 के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की गई है।

बरामदगी: एक .303 राइफल, .303 के 81 राउंड जिंदा कारतूस और अन्य वस्तुओं के साथ पीएलजीए के नक्सल काडर का एक शव।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी एवं प्रवीण कुमार झा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27.04.2010 से दिया जाएगा।

अ. राय
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 6-प्रेज/2017—राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी के नाम और रैंक

श्री आशीष कुमार चौधरी,
सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

घाघरा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी रामदयाल मुंडा और सहायक उप निरीक्षक आशीष कुमार चौधरी के नेतृत्व में सिविल पुलिस बल सहित सुश्री माया रानी, सहायक कमांडेंट की कमान में ई/133 बटालियन की दो टुकड़ियां दिनांक 07.04.2009 को सुबह 7 बजे से पुलिस थाना घाघरा के अंदरुनी क्षेत्रों में क्षेत्र-गश्त की ड्यूटी पर निकली हुई थीं। यह दल कच्चे रास्तों से होकर गांव जिलिंगसेरा और तानबिल टोली की छोटी पहाड़ियों के पास पहुंचा। लगभग 14.45 बजे, जब यह दल पहाड़ियों से गांव जिलिंगसेरा की तरफ आ रहा था, तब उन्होंने नक्सलियों के समूह को आते देखा जो मोटरसाइकिलों पर सवार थे। हेड कांस्टेबल/जीडी के.डी. देव और बल हेड कांस्टेबल/जीडी बिपुल चेतिया, उप निरीक्षक रामदयाल मुंडा और सहायक उप निरीक्षक आशीष कुमार चौधरी, जिला पुलिस के नेतृत्व में दल के जवानों ने उनको चुनौती दी। तुरन्त ही नक्सलियों ने स्वचालित हथियारों से दल पर गोलियां चलानी शुरु कर दीं। हेड कांस्टेबल/जीडी के.डी. देव और बल हेड कांस्टेबल/जीडी बिपुल चेतिया और कांस्टेबल/जीडी रोशन अली और उप निरीक्षक राम दयाल मुंडा और सहायक उप निरीक्षक आशीष कुमार चौधरी, जिला पुलिस, जो दल का नेतृत्व कर रहे थे, ने जबरदस्त रणनीतिक कौशल दिखाते हुए उचित आड़ लेकर जवाबी गोलीबारी की। इस बीच नक्सलियों ने मोटर साइकिलों को छोड़कर टुकड़ियों पर गोलीबारी करते हुए जंगल की तरफ भागना शुरु किया। शीघ्र ही टुकड़ियों तथा उग्रवादियों, जो लगभग 30 की संख्या में थे, के बीच भारी गोलाबरी आरंभ हो गई। घंटे भर चली इस नजदीकी गोलीबारी में टुकड़ियों ने एच.ई. बम और राइफल ग्रेनेड फेंके। इसी बीच सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक गुमला श्री उपेन्द्र सिंह के साथ श्री प्रमोद कुमार उप कमांडेंट (प्रचालन) की कमान में क्यू आर टी/33 घटना-स्थल पर पहुंच गई। मुठभेड़ समाप्त होने पर क्षेत्र की तलाशी ली गई और दो उग्रवादियों के शव मिले जिनकी पहचान बाद में संजय ओरांव, पीएलएफआई गुट का एरिया कमांडर, निवासी हिसिर, पुलिस थाना बिहानपुर, जिला गुमला और बिरसा ओरांव, निवासी पालकोट, पुलिस थाना पालकोट, जिला गुमला के रुप में हुई। एक जीवित उग्रवादी संतोष करकेट्टा, उम्र-14 वर्ष, पुत्र सुखदेव करकेट्टा, निवासी सालगी, पुलिस थाना घाघरा, जिला गुमला को पकड़ा गया और दो हथियार बरामद किए गए। शेष उग्रवादी साथ लगे घने जंगल से आच्छादित नाले के जरिए भाग निकले। तथापि ऐसा अनुमान है माओवादियों कि कुछ और उग्रवादी घायल हुए होंगे। मारे गए तथा गिरफ्तार उग्रवादी पीएलएफआई गुट से थे जिसे पूर्व में जेएलटी के नाम से जाना जाता था। पूरे अभियान में बल हेड कांस्टेबल/जीडी के.डी. देव, हेड कांस्टेबल/जीडी बिपुल चेतिया और कांस्टेबल/जीडी रोशन अली, उप निरीक्षक राम दयाल मुंडा और सहायक उप निरीक्षक आशीष कुमार चौधरी, जिला पुलिस ने अनुकरणीय साहस तथा जबरदस्त प्रतिबद्धता दिखाई, जिन्होंने वास्तविक लड़ाई में गोलियां चलाईं तथा अपनी जान को जोखिम में डालकर फुर्ती से कार्रवाई की जिसके कारण उग्रवादी मार गिराए गए। क्षेत्र की तलाशी के बाद मृत उग्रवादियों के शवों के अतिरिक्त निम्नलिखित सामग्रियां बरामद हुईं:- स्लिंग सहित एक 9 मिमी कारबाइन, एक कारबाइन मैगजीन, एक 9 मिमी पिस्तौल (यूएसए निर्मित), एक 9 मिमी मैगजीन, ग्यारह 9 मिमी जिंदा राउंड, सिम कार्ड सहित तीन मोबाइल सेट (एक रिलायंस और दो नोकिया), एक ओ.जी. हैंड बैग, एक बंडोलियर ओ.जी., नौ सिम कार्ड, एक पीएलएफआई पर्चा, नम्बर प्लेट रहित दो मोटरसाइकिलें (एक बजाज डिस्कवर तथा एक 125 सीसी बजाज), एक पुल थ्रू इन्सास और एक पर्स।

दिनांक 07.04.2009 को अनुवर्ती घटना में पुलिस अधीक्षक गुमला उपेन्द्र सिंह तथा श्री प्रमोद कुमार, उप कमांडेंट (प्रचालन)/133 ने जिलिंगसेरा जंगल की घेराबंदी करने तथा क्षेत्र की तलाशी लेने के लिए एक अभियान की योजना बनाई। अभियान की योजना के अनुसार, सुश्री माया रानी, सहायक कमांडेंट क्यूआरटी/133 तथा प्रमोद कुमार, उप कमांडेंट (प्रचालन) की कमान में ई/133 की दो प्लाटूनें तथा प्रभारी अधिकारी पुलिस थाना घाघरा की कमान में पुलिस थाना घाघरा का सिविल पुलिस बल दिनांक 07.04.2009 को मुठभेड़ स्थल, जिलिंगसेरा जंगल की घेराबंदी और तलाशी के लिए निकला। गांव जिलिंगसेरा के उत्तर में स्थित जंगल में दिनांक 07.04.2009 की मुठभेड़ के स्थल की तलाशी के दौरान एक उग्रवादी का शव पाया गया जिसकी पहचान बाद में सोनू मुंडा उर्फ दया मुंडा, उम्र-19/20 वर्ष, पुत्र स्व. देवगन मुंडा, निवासी सालगी दुरियाटोली, पुलिस थाना घाघरा, जिला गुमला के रुप में हुई जो अपने सहयोगी

विमल लाकरा के साथ दिनांक 07.04.2009 की मुठभेड़ के दौरान भागने में सफल हो गया था। आगे हुई तलाशी में एक बड़े शिलाखंड के पीछे खड़ी एक हीरो होंडा मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस पूरे अभियान में हेड कांस्टेबल/जीडी के.डी. देव, बल हेड कांस्टेबल/जीडी बिपुल चेतिया और बल कांस्टेबल/जीडी रोशन अली, उप निरीक्षक राम दयाल मुंडा और सहायक उप निरीक्षक आशीष कुमार चौधरी, जिला पुलिस ने गजब का साहस दिखाया तथा अपनी जान जोखिम में डालकर फुर्ती से कार्रवाई करते हुए न केवल तीन कुख्यात उग्रवादियों को मार गिराया बल्कि इससे माओवादियों के पीएलएफआई गुट, जो पहले जेएलटी कार्यकर्ताओं के रुप में जाने जाते थे, का मनोबल तोड़ने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

की गई बरामदगी:- स्लिंग सहित एक 9 मिमी कारबाइन, कारबाइन मैगजीन, एक 9 मिमी पिस्तौल (यूएसए निर्मित), एक 9 मिमी मैगजीन, एक 9 मिमी जिंदा राउंड - ग्यारह, सिम कार्ड सहित मोबाइल सेट आदि।

इस मुठभेड़ में श्री आशीष कुमार चौधरी, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 07.04.2009 से दिया जाएगा।

अ. राय
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 7-प्रेज/2017—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अमित कुमार सिंह,
   कमांडेंट
2. संतोष कुमार सिंह,
   सहायक कमांडेंट
3. पार्था बर्मन,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 27.12.2012 को लगभग 2300 बजे श्री संतोष कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट को एसओजी पुलवामा से जिला पुलवामा के गांव-चांदगांव में कुछ उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना श्री अमित कुमार सिंह, कमांडेंट, 182 बटालियन, सीआरपीएफ को दी और वे उनके निर्देश पर एफ/182 बटालियन, सीआरपीएफ की दो प्लाटूनों के साथ उस स्थान पर पहुंच गए। श्री अमित कुमार सिंह, कमांडेंट ने भी तत्परता दिखाई और वे अपने त्वरित कार्रवाई दल के साथ उस गांव के लिए रवाना हो गए।

उक्त गांव में पहुंचकर श्री अमित कुमार सिंह ने बेहद युक्तिपूर्वक गांव का जायजा लिया और उन्होंने गोपनीय तरीके से 4-5 संदिग्ध घरों की घेराबंदी का आदेश दिया, ताकि लक्षित घर को चिह्नित किया जा सके। उस गांव की स्थलाकृति काफी खतरनाक है, जहां एक ओर घरों का समूह है तो दूसरी ओर असमतल पहाड़ी भू-भाग है, जिससे सुरक्षा बलों पर गुरिल्ला हमले और सम्पाश्विक क्षति की संभावना का भी दोहरा खतरा था। जब वहां घेराबंदी की जा रही थी, तब श्री अमित कुमार सिंह ने उनमें से एक घर से एक व्यक्ति को चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देखा। इस बात की परवाह किए बगैर कि उस व्यक्ति से उनकी जान को खतरा हो सकता था, उन्होंने बिना समय गंवाए उसके ऊपर छलांग लगाकर उसे बहादुरीपूर्वक दबोच लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम डॉ. बशीर अहमद बताया, जो पेशे से एक दंत चिकित्सक था और उसने अनिच्छापूर्वक यह बताया कि एलईटी के दो जघन्य उग्रवादी उसके घर के भीतर छिपे हुए हैं। श्री अमित कुमार सिंह ने तत्काल लक्षित घर के चारों ओर घेरा डाल दिया और उन्होंने घेराबंदी को मजबूत करने के लिए श्री हेमंत कुमार शर्मा, सहायक कमांडेंट, 182 बटालियन और एसओजी लिट्टर को वहीं बुला लिया। उन्होंने श्री संतोष कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट और कांस्टेबल/जीडी पार्था बर्मन के साथ मिलकर स्वयं लक्षित घर की चारदीवारी के मुख्य प्रवेश द्वार पर युक्तिपूर्वक पोजीशन ले ली ताकि उग्रवादियों की गतिविधि पर नज़र रखी जा सके और युक्तिपूर्वक तरीके से नियंत्रित एवं प्रभावी गोलीबारी के आदेश

दिए जा सकें। उस समय मौसम की स्थिति खराब होने और लक्षित घर के चारों ओर घना अंधेरा होने के कारण, भोर में हमला शुरू करने का निर्णय लिया गया।

इसी बीच, दिनांक 28.12.2012 को लगभग 0200 बजे मेजर तन्मय रथ की कमान के अधीन 55 आर आर का सैन्य दल भी उस स्थान पर पहुंच गया, जिन्होंने श्री अमित कुमार सिंह, कमांडेंट द्वारा ब्रीफ किए जाने के बाद आस-पास के घरों में अपनी पोजीशन ले ली। लगभग 0215 बजे उग्रवादियों ने, जिन्हें तब तक घेर लिए जाने की जानकारी हो गई थी, एक हथगोला बाहर फेंका जिसके पश्चात उन्होंने अंधेरे की आड़ में वहां से निकल कर भागने का प्रयास करने के लिए चारदीवारी के मुख्य द्वार की ओर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन उस स्थान पर पोजीशन लिए हुए श्री अमित कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार सिंह और कांस्टेबल/जीडी पार्था बर्मन ने तत्काल उग्रवादियों के ऊपर जवाबी गोलीबारी की। एक हथगोला उपर्युक्त कार्मिकों से बमुश्किल 10 फीट की दूरी पर फटा जिसके टुकड़ों से वे आंशिक रूप से घायल हो गए, फिर भी इससे वे हतोत्साहित नहीं हुए और अपने स्थान पर पर डटे रहे। सैन्य दल की घोर जवाबी कार्रवाई से भागने के अपने प्रयास में असफल होने के बाद उग्रवादियों ने वापस घर के भीतर जाकर स्थानीय बोली में आजादी के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी और प्रवेश द्वार की ओर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उस समय अमित कुमार सिंह अगुवाई करते हुए श्री संतोष कुमार सिंह और कांस्टेबल/जीडी पार्था बर्मन के साथ रेंगते हुए कुछ दूरी तक आगे पहुंचे और कवर से निकलकर उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बहादुरीपूर्वक जवाबी गोलीबारी की। दोनों ओर से गोलीबारी लगभग एक घंटे तक चली, जिसके बाद घर के भीतर से गोलीबारी रूक गई। इस घनघोर गोलीबारी के दौरान श्री अमित कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार सिंह और कांस्टेबल/जीडी पार्था बर्मन ने अपनी निजी सुरक्षा और जान की परवाह न करते हुए उग्रवादियों के आक्रमण का बहादुरीपूर्वक सामना किया और उन्हें सुरक्षा बलों को हताहत करके अथवा वहां से भागने का कोई मौका नहीं दिया। सुबह की पहली किरणों के साथ जब लगभग 0700 बजे सैन्य दल घर के भीतर प्रवेश करके अंतिम धावा बोलने जा रहा था, तभी श्री अमित कुमार ने लक्षित घर से तेजी से बाहर निकलकर उनकी ओर गोलियां बरसाते हुए एक उग्रवादी को देख लिया। श्री अमित कुमार सिंह ने फौरन छलांग लगाते हुए श्री संतोष कुमार सिंह और कांस्टेबल/जीडी पार्था बर्मन को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और गोलियां उनके बेहद करीब से निकल गईं और उसके बाद तीनों ने मिलकर उस उग्रवादी के ऊपर गोलियां चलाईं और उसे मार गिराया। दूसरा उग्रवादी, जो घर के भीतर छिपा हुआ था, निरंतर अपने स्थान को बदलते हुए तब भी लगातार सैन्य दल के ऊपर गोलीबारी कर रहा था। श्री अमित कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार सिंह और कांस्टेबल/जीडी पार्था बर्मन धावा बोलने वाले दल के साथ रेंगते हुए लक्षित घर के नजदीक पहुंच गए और वहां से उन्होंने सुरक्षा में बाधक किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हुए घर के भीतर से हो रही गोलीबारी की दिशा में भयंकर गोलीबारी करते हुए उस उग्रवादी को खत्म कर दिया।

इसके बाद धावा बोलने वाले दल के सदस्यों ने अपनी जान को गंभीर जोखिम में डालते हुए कमरे के भीतर प्रवेश किया और वहां से दो उग्रवादियों के शव और उनके हथियार बरामद किए।

मारे गए उग्रवादियों की पहचान निम्नानुसार की गई:-

i) इम्तियाज अहमद तेली (एलईटी संगठन का एरिया कमांडर, श्रेणी ए+) उम्र लगभग 25 वर्ष, पुत्र-गुलाम रसूल, निवासी-पेट्टीपुरा, जिला-पुलवामा, (जम्मू एवं कश्मीर)।

ii) मोहम्मद अमीर भट्ट (एलईटी संगठन), निवासी-गांव हान्डीव, जिला-शोपियां, (जम्मू एवं कश्मीर)।

श्री अमित कुमार सिंह के समर्थ संरक्षण में इस दिल दहलाने वाले अभियान के परिणामस्वरूप जघन्य एलईडी माड्यूल को विफल और ध्वस्त करने में सफलता मिली।

की गई बरामदगी

i)	ए.के.-47 राइफल	-	02 (01 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त)
ii)	ए.के.-47 मैगजीन	-	03 (02 क्षतिग्रस्त)
iii)	ए.के. राउन्ड	-	37
iv)	पिस्तौल (चीनी निर्मित)	-	01
v)	मैगजीन (चीन निर्मित पिस्तौल)	-	01
vi)	राउन्ड (चीनी निर्मित पिस्तौल)	-	03 (02 मिस्ड राउंड)
vii)	बाड़ी पाउच	-	01
viii)	वेब बेल्ट	-	01

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अमित कुमार सिंह, कमांडेंट, संतोष कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट और पार्था बर्मन, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28.12.2012 से दिया जाएगा।

अ. राय
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 8-प्रेज/2017—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अवध बिहारी, सहायक उप निरीक्षक — (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
2. सुरेश कुमार, सेकन्ड-इन-कमाण्ड — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
3. अरूप बरूआ, कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
4. सौरभ छेत्री, कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
5. हेम चन्द्र मेधी, कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
6. अवधेश पाल सिंह, हेड कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 13.03.2013 को मुस्लिम मुशावरत मजलिस (एमएमएल) द्वारा बंद के लिए किए गए आह्वान के मद्देनजर पुलिस चौकी बेमिना, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) के क्षेत्र में तैनाती के लिए 73वीं बटालियन, सीआरपीएफ की एफ कंपनी को चुना गया था। शस्त्रहीन कानून एवं व्यवस्था घटक सहित सैन्य टुकड़ियों को आगे तैनाती के लिए जम्मू एवं कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल, बेमिना के मैदान में सुरक्षित रखा गया था। उक्त मैदान के कोने में, राजमार्ग पर, 44 बटालियन की एक टुकड़ी ने बेमिना चौक, श्रीनगर में नाका लगाया हुआ था, जिसमें हेड कांस्टेबल/जीडी अवधेश पाल सिंह, कांस्टेबल/जीडी अरूप बरूआ, कांस्टेबल/जीडी हेम चन्द्र मेधी और कांस्टेबल/जीडी सौरभ छेत्री 0700 बजे से 1300 बजे तक ड्यूटी पर थे। लगभग 35-40 बच्चे/नौजवान मैदान में उपस्थित थे और क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। लगभग 10.45 बजे, दो फिदायीन भीड़ का फायदा उठाकर खिलाड़ियों के भेष में मैदान में घुस गए। अपने गलत इरादे को पूरा करने के लिए, उन्होंने क्रिकेट किट बैग में छिपाकर रखे गए अपने हथियार और ग्रेनेड बाहर निकाले और मैदान में इंतजार कर रही टुकड़ियों पर अंधाधुंध गोली-बारी शुरू कर दी। उक्त कंपनी के शस्त्रहीन कानून एवं व्यवस्था घटक ने नजदीकी आड़ के बगैर स्वयं को असहाय पाया। एएसआई/ जीडी अवध बिहारी ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को असहाय और फिदायीनों की तेज गोली-बारी का शिकार होते देखकर, अपनी जान की परवाह किए बगैर जवाबी हमला करने का निश्चय किया। उन्होंने तुरंत चालाकी से शस्त्रहीन टुकड़ियों पर गोली-बारी कर रहे आतंकवादियों के बीच अपनी जगह बना ली और अपनी गोली-बारी से उनका जवाब दिया। उनके निर्भीक और साहसपूर्ण प्रयास ने फिदायीनों को अपनी गोली-बारी एएसआई/जीडी अवध बिहारी की ओर करने के लिए मजबूर कर दिया जिससे घिरी हुई टुकड़ियां आड़ लेने में सक्षम हो गईं। यद्यपि एएसआई/जीडी अवध बिहारी फिदायीनों से साहसपूर्ण लड़े लेकिन हमवतन साथियों की जान बचाने के प्रयास में फिदायीनों की गोलियां उन्हें लग गई और वे शहीद हो गए।

नजदीकी नाका पर खड़ी सैन्य टुकड़ियों ने उन पर जवाबी गोली-बारी की। नाका से गोली-बारी होने पर फिदायीनों ने उस मोर्चे की ओर यूबीजीएल से जवाबी गोली-बारी की जहां से नाका पर तैनात दल गोली-बारी कर रहा था। हेड कांस्टेबल/जीडी अवधेश पाल सिंह, कांस्टेबल/जीडी अरूप बरूआ, कांस्टेबल/जीडी हेम चन्द्र मेधी और कांस्टेबल/जीडी सौरभ छेत्री जो मोर्चे के अन्दर थे, गोलियों और ग्रेनेड की भारी गोली-बारी में घिर गए, जो मोर्चे की दीवारों पर चारों तरफ टकरा रही थी। हेड कांस्टेबल/जीडी अवधेश पाल सिंह ने यह सोचते हुए कि वे मोर्चे में घिर गए हैं और फिदायीनों को जवाब देना और उन्हें निष्प्रभावी करना असंभव है, उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ियों को कई दिशा से हमला करने के लिए बाहर निकलने और विभिन्न स्थानों की ओर रेंग कर जाने का आदेश दिया। शीघ्र ही चारों निडर सैनिक

मैदान में चारों ओर गोलियां चलाते हुए मोर्चे से बाहर आ गए और फिर से समन्वित हमला करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर पोजीशन लेने के लिए एक नाले पर चलकर आगे बढ़े। गोलियों की बौछर के बीच कुछ दूरी तक रेंग कर चलने के पश्चात, चारो ने समन्वित जवाबी गोली-बारी शुरू कर दी और एक फिदायीन को निष्प्रभावी कर दिया। अपने साथी का अंजाम देखकर, दूसरा फिदायीन पीछे हट गया और स्कूल के हॉस्टल के भवन की ओर जाने लगा। इसी बीच, बंदूक चलने और ग्रेनेड के विस्फोट की आवाज सुनकर, श्री सुरेश कुमार सेकन्ड-इन-कमाण्ड, 73 वीं बटालियन, अपने अनुरक्षक के साथ उस जगह पर पहुंचे। उसने तुरंत स्थिति को भांप लिया और अपने बुलेटप्रूफ वाहन में दूसरे फिदायीन की ओर बढ़े। फिदायीन ने गोली-बारी की और उनके वाहन पर ग्रेनेड फेंके जिससे उनके वाहन का टायर पंचर हो गया लेकिन इसकी परवाह किए बगैर श्री सुरेश कुमार सेकन्ड-इन-कमाण्ड पंचर वाहन पर आगे बढ़ते रहे और फिदायीन को व्यस्त रखा। उस समय पर, उनके दिमाग में एक मात्र बात हॉस्टल में फिदायीन की गतिविधि को रोकना था क्योंकि इससे आम लोग मारे जाते अथवा उनके बन्धक बनाए जाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती। इस प्रकार पीछा करने में, वह फिदायीन और नाका सैन्य टुकड़ियों की पारस्परिक गोली-बारी के बीच भी आ गए लेकिन वह भी उन्हें नहीं रोक पाई। भारी गोली-बारी के बावजूद, उन्होंने फिदायीन को उलझाए रखा और भयंकर करीबी गोली-बारी के पश्चात उसे निष्प्रभावी कर दिया।

समन्वित रूप से उलझाए जाने तथा श्री सुरेश कुमार, सेकन्ड-इन-कमाण्ड की गहन देख-रेख में सुरक्षा बलों द्वारा सटीक गोलीबारी के कारण, दोनों फिदायीनों को निष्प्रभावी कर दिया गया। गंभीर खतरे का सामना करने में, सीआरपीएफ कार्मिकों ने अपना संयम बनाए रखा और हड़बड़ी में गोली-बारी का सहारा नहीं लिया जिससे सम्पार्श्विक क्षति नहीं हुई। श्री सुरेश कुमार, सेकन्ड-इन-कमाण्ड, 73 बटालियन के एएसआई/जीडी श्री अवध बिहारी, हेड कांस्टेबल/जीडी अवधेश पाल सिंह, कांस्टेबल/जीडी अरूप बरूआ, कांस्टेबल/जीडी हेम चन्द्र मेधी और 44 बटालियन के कांस्टेबल/जीडी सौरभ छेत्री की निर्भीक, साहसिक तथा वीरतापूर्ण कार्रवाई के कारण पाकिस्तान के फिदायीन नामत: हैदर और सैफ को निष्प्रभावी किया जा सका और हमारी सैन्य टुकड़ियों के अलावा स्कूली बच्चों, अध्यापकों तथा कई अन्य लोगों का बहुमूल्य जीवन बचाया जा सका। संपूर्ण अभियान में 15-20 मिनट लगे, जो इस प्रकार के फिदायीन हमलों के इतिहास में सीआरपीएफ के लिए एक बड़ी सफलता है।

की गई बरामदगी:

i)	ए.के. 47	-	02
ii)	ए.के. मैगजीन	-	05
iii)	ए.के. पाउच	-	02
iv)	यू बी जी एल	-	01
v)	एच ई. 36 ग्रेनेड	-	04
vi)	यू बी जी एल ग्रेनेड	-	03
vii)	ग्रेनेड पाउच	-	02
viii)	पिस्तौल	-	02
ix)	पिस्तौल मैगजीन	-	02
x)	पिस्तौल राउण्ड	-	02
xi)	ए.के. 47 राउण्ड	-	60
xii)	पर्स	-	6300/- रु. की नकदी

इस मुठभेड में सर्व/श्री (स्व.) अवध बिहारी, सहायक उप निरीक्षक, सुरेश कुमार, सेकन्ड-इन-कमाण्ड, अरूप बरूआ, कांस्टेबल, सौरभ छेत्री, कांस्टेबल, हेम चन्द्र मेधी, कांस्टेबल एवं अवधेश पाल सिंह, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13.03.2013 से दिया जाएगा।

अ. राय
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 9-प्रेज/2017—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. रूप चन्द
निरीक्षक

2. सत्येन्द्र सिंह
कांस्टेबल

3. अनिल कुमार
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

134 बटालियन, सीआरपीएफ की चार्ली कंपनी को अत्यधिक माओवाद प्रभावित जिले अर्थात झारखंड राज्य के लातेहार में तैनात किया गया था और उसे लातेहार जिले के पुलिस स्टेशन गारु और बरवाडीह के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में माओवाद-विरोधी अभियान चलाने का कार्य सौंपा गया था। एक सामान्य जानकारी के आधार पर कि माओवादी भोजन इकट्ठा करने और बैठकें आयोजित करने के लिए अंधेरे के दौरान जंगल के किनारे स्थित गांवों में आते-जाते रहते हैं, राज्य पुलिस घटक, जिसमें श्री अश्वनी कुमार एसडीपीओ, बरवाडीह, उप-निरीक्षक सिया सरन प्रसाद, एसएचओ, पुलिस स्टेशन गारु तथा दस अन्य राज्य पुलिस कार्मिकों के साथ निरीक्षक/जीडी रुप चन्द की कमांड में सी/134 बटालियन की दो प्लाटूनें दिनांक 27.04.2010 की शाम को अभियान चलाने के लिए गश्त के लिए निकलीं। निरीक्षक/जीडी रुप चन्द, कंपनी कमांडर अपनी क्यूएटी के साथ सामने से सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे। रणनीति के अनुसार, किसी संदिग्ध हलचल/गतिविधि को देखने के लिए पहले कुछ समय तक रणनीतिक दूरी से प्रवेश किए जाने वाले गांव पर निगरानी रखी गई और फिर सैन्य टुकड़ियां तलाशी के लिए अंदर गईं। मार्ग में, जब उक्त सैन्य टुकड़ियां नाइट विजन डिवाइस की सहायता से लाडी ग्राम (पुलिस स्टेशन बरवाडीह, जिला लातेहार) की निगरानी कर रही थीं, तब उन्हें गांव के भीतर कुछ हलचल दिखाई दी। चूंकि अंधेरा हो गया था, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि यह सशस्त्र माओवादी की हलचल थी अथवा निर्दोष लोगों की। एहतियात अपनाते हुए तथा किसी भी परिणाम के लिए तैयार होकर, निरीक्षक/जीडी रूप चन्द ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को सावधान किया तथा उनको युक्तिपरक पोजीशन लेने का आदेश दिया जबकि वह स्वयं भविष्य की कार्रवाई के बारे में सोचने लगे। उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ियों को दो समूहों में बांट दिया और उनमें से एक को गांव को पूर्व की ओर से कवर करने का आदेश दिया जबकि उन्होंने दूसरे समूह का नेतृत्व किया और पश्चिम अर्थात् जंगल की ओर से गांव में प्रवेश किया। जब निरीक्षक/जीडी रूप चन्द स्काउट के रुप में दो क्यूएटी कार्मिकों नामत: कांस्टेबल/जीडी सत्येन्द्र सिंह और कांस्टेबल/जीडी अनिल कुमार सिंह के साथ रणनीतिक ढंग से एनवीडी की सहायता से गांव की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्हें एक घर के पास बंदूक के साथ कम से कम एक माओवादी के मौजूद होने का पता चला। उसको संत्री मानते हुए, निरीक्षक/जीडी रूप चन्द कांस्टेबल/जीडी सत्येन्द्र सिंह और कांस्टेबल/जीडी अनिल कुमार सिंह उसको दबोचने/निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से रेंगकर उसकी ओर गए। जब वे अपने लक्ष्य से मात्र 20 मीटर की दूरी पर थे, तो संत्री को अवांछित गतिविधि की भनक लग गई। उसने तुरंत आगे बढ़ रही सैन्य टुकड़ी पर गोलीबारी शुरु कर दी और आड़ लेने के लिए घर की दीवार के पीछे की ओर भागा। निरीक्षक/जीडी रूप चन्द, कांस्टेबल/जीडी सत्येन्द्र सिंह और कांस्टेबल/जीडी अनिल कुमार सिंह बाल-बाल बच गए परन्तु जान को जोखिम में डालने वाली इस स्थिति से स्तब्ध होने के बावजूद, उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा और बच कर भाग रहे माओवादी पर जबाबी गोलीबारी की। गोलीबारी की आवाज सुनते ही, आस-पास मौजूद माओवादियों ने अपनी पोजीशन संभाल ली और दक्षिण-पश्चिम की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। निरीक्षक/जीडी रूप चन्द अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ तुरंत बहुत कम मात्रा में उपलब्ध आड़ में अपनी पोजीशन संभाली और जवाबी गोलीबारी करने लगे। माओवादियों की तेज गोलीबारी सैन्य टुकड़ियों के आगे बढ़कर माओवादियों को निष्प्रभावी करने के प्रयासों में बाधा पहुंचा रही थी। इसके अतिरिक्त, चारों ओर घने पेड़-पौधों के कारण छिपे हुए माओवादियों की वास्तविक स्थान का पता नहीं चल पा रहा था। इस कठिनाई को देखते हुए, निरीक्षक/जीडी रूप चन्द ने पहले उस माओवादी को निष्प्रभावी करने का निर्णय लिया जो दीवार के पीछे चला गया था और अभी भी वहां से गोलीबारी कर रहा था। उन्होंने कांस्टेबल/जीडी सत्येन्द्र सिंह और कांस्टेबल/जीडी अनिल कुमार सिंह को साथ लिया और वे तीनों रेंगकर तेज गोलीबारी तथा गोलियों की बौछारों के बीच अपनी बांई ओर बढ़ गए। अलग कोने में जाने के पश्चात्, उन्होंने माओवादी की स्थिति का पता लगा लिया और अपनी सधी हुई अचूक गोलीबारी से उसे निष्प्रभावी कर दिया। लड़ाई का दूसरा मोर्चा खोलने के पश्चात्, तीनों उत्तर दिशा से आगे बढ़े और माओवादियों पर तेज गोलीबारी शुरु कर दी। दो दिशाओं से गोलीबारी का सामना होने पर और सुरक्षा बलों द्वारा पराजित होने के डर से, माओवादी अंधेरे, भूभाग और घने जंगल का फायदा उठाकर जंगल के

भीतर भाग गए। मुठभेड़ के पश्चात, इलाके की तलाशी की गई जिसके दौरान एक माओवादी का शव तथा उसका निजी हथियार (.303 राइफल), चार्जर के साथ 81 जिंदा राउंड और अन्य विविध सामग्रियां बरामद की गईं।

निरीक्षक/जीडी रूप चन्द, कांस्टेबल/जीडी सत्येन्द्र सिंह और कांस्टेबल/जीडी अनिल कुमार की कार्रवाई से उनकी रणनीतिक कुशाग्रता, धैर्य, अडिगता तथा प्रभावशाली नेतृत्व गुणों का पता चलता है। अभियान के दौरान उनके द्वारा दिखाई गई बहादुरी और रणनीतिक बुद्धिमानी, स्पृहणीय और अनुकरणीय थी। उनकी अचानक पहल ने न केवल माओवादी को निष्प्रभावी किया बल्कि उन अन्य सैन्य टुकड़ियों में भी अविश्वसनीय आत्मविश्वास पैदा कर दिया जिन्होंने अंतत: माओवादियों को पीछे हटने और जंगल में भाग जाने पर विवश कर दिया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री रूप चन्द, निरीक्षक, श्री सत्येन्द्र सिंह, कांस्टेबल और अनिल कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27.04.2010 से दिया जाएगा।

अ. राय
विशेष कार्य अधिकारी

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2017

संकल्प

सं. 6/18/2016-टीयूएफएस.—संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) को दिनांक 13.01.2016 के संकल्प सं. 6/5/2015-टीयूएफएस के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। एटीयूएफएस के दिशानिर्देश दिनांक 29.02.2016 के संकल्प सं. 6/5/2015-टीयूएफएस के माध्यम से जारी किए गए हैं। दिनांक 13.01.2016 से 31.03.2022 तक इसके क्रियान्वयन की अवधि के दौरान एटीयूएएफएस के वित्तीय और प्रचालनात्मक मानदंड तथा क्रियान्वयन तंत्र उक्त दिशानिर्देशों में दिए गए हैं।

2. मंत्रालय ने दिनांक 25 जुलाई, 2016 के समसंख्यक संकल्प के तहत परिधान क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एटीयूएफएस के तहत उत्पादन और रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) अधिसूचित की है। उत्पादन और रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) के तहत उन परिधान इकाइयों को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा जो पात्र बेंचमार्क मशीनरी की स्थापना के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त करने होंगे। इसलिए परिधान इकाइयों में पात्र मशीनों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी की सीमा को 30 करोड़ रुपए जो एटीयूएफएस की सीमा थी, से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 10% की यह अतिरिक्त सब्सिडी, इकाई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में यथा उल्लिखित अनुमानित उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राप्ति पर आधारित होगी। एसपीईएलएसजीयू दिनांक 13.01.2016 से 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगी।

3. सरकार ने एसपीईएलएसजीयू के तहत अतिरिक्त उत्पादन और रोजगार के आधार पर जो सब्सिडी परिधान क्षेत्र को प्रदान की है उसी बढ़ी हुई टीयूएफएस सब्सिडी के माध्यम से उत्पादन प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मेड-अप्स क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ाने के लिए और सुधारों का अनुमोदन किया है। मेड-अप्स इकाइयों को 10% की अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी जिससे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में दिए गए अनुमानित उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति के आधार पर एटीयूएफएस के तहत एसपीईएलएसजीयू के अनुसार अधिकतम सीमा बढ़कर 50 करोड़ रुपए हो जाएगी। तीन वर्ष के पश्चात अतिरिक्त सब्सिडी संवितरित की जाएगी। यह उत्पादन की मात्रा, रोजगार और कारोबार से जुड़े सत्यापन तंत्र पर आधारित होगा। यह योजना 13.01.2016 से 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगी।

1. उद्देश्यः

मेड-अप्स क्षेत्र में रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन मेड-अप्स इकाइयों के लिए 10% अतिरिक्त पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान करेगी जिन्होंने 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनुमानित उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति के आधार

पर एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस लाभ प्राप्त किया है। 3 वर्ष की अवधि की गणना उस इकाई के लिए एटीयूएफएस सब्सिडी रिलीज किए जाने की तारीख से की जाएगी।

2. सामान्य पात्रता शर्तें

मेड-अप्स इकाइयां जिन्होंने एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस प्राप्त किए हैं और नीचे दिए अनुसार 3 वर्ष की अवधि के पश्चात उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति को पूरी करती हैं, केवल वही योजना के अंतर्गत 10% अतिरिक्त सीआईएस हेतु पात्र होंगी।

(i) पिछले 3 वर्ष के दौरान किया गया मेड-अप्स का उत्पादन डीपीआर और जीआर के अंतर्गत (1:5 के कारोबार अनुपात के लिए न्यूनतम निवेश के अध्यधीन डीपीआर के अनुसार अनुपात) मानकों के अनुसार अनुमानित उत्पादन के बराबर अथवा अधिक है।

(ii) रोजगार सृजन डीपीआर में दिए गए रोजगार के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक एक करोड़ रुपए के निवेश पर 60 नौकरी के न्यूनतम उद्योग मानदंड के अध्यधीन होगा (एक शिफ्ट में कार्य)।

तीन वर्ष की अवधि के बाद उक्त दोनों शर्तें पूरी होने पर ही अतिरिक्त सब्सिडी संवितरित की जाएगी।

3. पात्र सब्सिडी के मानदंड

3.1 प्रत्येक पात्र मेड-अप्स इकाइयां जिन्होंने एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% का लाभ प्राप्त कर लिया है उन्हें 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अधिकतम सीमा तक पात्र निवेश पर 10% अतिरिक्त पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, एटीयूएफएस के अंतर्गत ऐसी इकाई के लिए सब्सिडी पर कुल सीमा को 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है (15% सीआईएस के लिए 30 करोड़ रुपए और 10% अतिरिक्त सीआईएस के लिए 20 करोड़ रुपए)। यह अतिरिक्त सब्सिडी 3 वर्ष की अवधि के बाद प्रदान की जाएगी। यह उत्पादन की मात्रा, रोजगार और कारोबार से संबद्ध सत्यापन तंत्र पर आधारित होगा। इस योजना को प्रचालनशील बनाने के मानदंड निम्नानुसार होंगे:

3.1.1 मेड-अप्स इकाई का उत्पादन 1:5 के कारोबार अनुपात के लिए न्यूनतम निवेश के अध्यधीन डीपीआर में दिए गए अनुपात के अनुसार होगा। मौजूदा मेड-अप्स इकाई के मामले में इकाई का उत्पादन 1:5 के अतिरिक्त कारोबार के लिए न्यूनतम अतिरिक्त निवेश के अध्यधीन डीपीआर में दिए गए अनुपात के अनुसार होगा।

3.1.2 रोजगार का सृजन प्रति करोड़ रुपए के निवेश पर 60 नौकरी के न्यूनतम उद्योग मानक के अध्यधीन डीपीआर में दिए गए रोजगार आंकड़े के अनुसार होगा।

3.2 एटीयूएफएस के अंतर्गत पात्रता और पात्र सब्सिडी राशि का मूल्यांकन और प्रमाणित करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) तंत्र है। जेआईटी, एटीयूएफएस के अंतर्गत स्थापित मशीनों का सत्यापन करता है। इस तंत्र का उपयोग प्रपत्र-क के अंतर्गत इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किए गए रोजगार और उत्पादन के आंकड़ों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा।

4. बजट आंबटन

मेड-अप्स इकाइयों के लिए अतिरिक्त सीआईएस को पूरा करने के लिए संबंधित वर्षों में एटीयूएफएस बजट के लिए निधियां प्रदान की जाएगी।

5. प्रचालनात्मक मानदंड

5.1 आवेदक अतिरिक्त 10% सीआईएस के लिए प्रपत्र-क के रूप में अपने दावा फार्म और घोषणा सहित उत्पादन और रोजगार के ब्यौरे अपलोड करेंगे।

5.2 जेआईटी ब्यौरे का सत्यापन करेगी और आईएटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वस्त्र आयुक्त को प्रपत्र-ख के रूप में निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5.3 जेआईटी की रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात वस्त्र आयुक्त, आईएटीयूएफएस के माध्यम से पात्र सब्सिडी की रिलीज के लिए वस्त्र मंत्रालय को दावा प्रस्तुत करेगा।

5.4 क्रियान्वयन तंत्र, मॉनीटरिंग तंत्र, दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र, दिशानिर्देशों में संशोधन आदि सहित अन्य सभी शर्तें एटीयूएफएस के दिशानिर्देशों के अनुसार यथासंभव यथावत रहेंगी।

पुष्पा सुब्रह्मण्यम
अपर सचिव

प्रपत्र-क

मेड-अप्स के लिए 10% अतिरिक्त पूंजी निवेश के लिए दावा फार्म

पार्ट-I

1.	टीयूएफएस संदर्भ संख्या	
2.	यूआईडी संख्या और दिनांक	
3.	इकाई की कंपनी के पंजीकरण का ब्यौरा अथवा उचित प्राधिकार सहित पंजीकरण का ब्यौरा	कृपया एक प्रति अपलोड करे
4.	नवीन बिजली के बिल की प्रति	कृपया एक प्रति अपलोड करे
5.	15% सीआईएस के लिए आयोजित पिछली जेआईटी की तारीख	
6.	टीयूएफएस के आवेदक द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए जाने की तारीख	(सिस्टम से तैयार किया गया)
7.	सृजित किया गया वास्तविक रोजगार	

इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात सृजित किया गया वास्तविक रोजगार (स्तर-वार)										
प्रबंधकीय		सुपरवाइजरी		कामगार		कुल		ईपीएफ योजना के अंतर्गत शामिल व्यक्ति		
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	कुल

नोट: मस्टर रोल/ईपीएफ रिकार्ड में नियोक्ता का अंशदान आदि जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए

8.	किया गया वास्तविक उत्पादन	

इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात कुल					
संख्या			कारोबार (रुपए में)		
प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष

नोट: बिक्री कर के रिकार्ड/उत्पाद शुल्क के रिकार्ड/लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं आदि जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए

प्रमाणित किया जाता है कि:

इस प्रपत्र में दी गई सूचना सत्य और सही है और इकाई के पास उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है जिसे किसी भी समय पदनामित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

स्थान:

दिनांक : (हस्ताक्षर)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)

नोट : कृपया प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर सहित कंपनी/इकाई की सील/रबर की मुहर लगाएं।

सभी मदों को ब्यौरे सहित भरें।

भाग-II

जेआईटी के समय इकाई द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए

(इकाई के पत्र शीर्ष पर)

1. प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें..... पूर्व-प्राधिकृति किया गया है और मेड-अप्स क्षेत्र के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस प्राप्त कर लिया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें..... मेड-अप्स क्षेत्र के लिए 10% अतिरिक्त सीआईएस के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत..... रुपए के लिए पूर्व प्राधिकृत किया गया है।

3. मैं/हम.....(लाभार्थी इकाई का नाम) एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कोई मशीनरी अथवा उसका कोई पुर्जा जिसके लिए टीयूएफएस के अंतर्गत दावा का लाभ लिया गया/लिया जा रहा है, को इस बैंक और कोई अन्य बैंक/ऋणदाता एजेंसियों/वित्तीय संस्थाओं से एक से अधिक बार वित्त पोषित नहीं किया गया है। विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रपत्र में) की एक प्रति अपलोड कर दी गई है जिसे सब्सिडी का दावा करते समय मूल रूप से जेआईटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4. मैं/हम के द्वारा वचन देते हैं कि दस्तावेजों, कंपनी/इकाई की परिसंपत्तियों के सत्यापन के दौरान जीआर के दिशानिर्देशों के अंतर्गत डीपीआर/मानदंडों के अनुसार संभावित उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राप्ति अथवा बाद में किसी भी समय एटीयूएफएस के अंतर्गत प्राप्त लाभ में यदि कोई अंतर/कमी पायी जाती है तो उसे इसकी प्राप्ति की तारीख से लागू दंड स्वरूप ब्याज सहित बैंक/सरकार को लौटा दी जाएगी।

5. मैं/हम ..... वचन देते हैं कि यह इकाई पिछले 3 वर्षों ..... से ..... तक प्रचालनशील है।

(हस्ताक्षर)
मुहर सहित नाम और पदनाम

प्रपत्र – ख

एटीयूएफएस के अंतर्गत 10% अतिरिक्त सीआईएस प्राप्त करने के लिए इच्छुक मेड-अप्स इकाइयों द्वारा संभावित उत्पादन, कारोबार और रोजगार सृजन की प्राप्ति पर संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) द्वारा प्रमाणन

1. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय में इकाई का आवेदन प्राप्त होने की तारीख:

2. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा आबंटित यूआईडी सं.:

3. निरीक्षण की तारीख:

4.	निरीक्षित इकाई का नाम एवं पता पिनकोड सहित तालुका/तहसील /मंडल: जिला: राज्य: पिनकोड:	
	फोन सं./मोबाइल सं.	
	फैक्स सं.	
	ई-मेल आईडी	
	इकाई का पैन नं.	
	पंजी. एसएसआई/ईएम नं. एवं तारीख	

<table>
<tr><td></td><td>संबंधित व्यक्ति का नाम
संपर्क नं.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td>क्या इकाई यूआईडी आवेदन में उल्लिखित पते पर कार्यशील पायी गई है</td><td>हां ☐ नहीं ☐</td></tr>
<tr><td>यदि नहीं तो इकाई का वास्तविक पता
तालुका/तहसील /मंडल:
जिला:
राज्य:
पिनकोड:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>क) क्या इकाई द्वारा प्रपत्र-क में प्रस्तुत तथा बैंक द्वारा प्रमाणित ब्यौरा सही पाया गया है अथवा नहीं</td><td>हां ☐ नहीं ☐</td></tr>
<tr><td>ख) यदि नहीं तो कृपया बताएं</td><td></td></tr>
<tr><td>ग) क्या प्रपत्र-ग1 में इकाई से घोषणा प्राप्त कर लिया गया है और संलग्न कर दिया गया है</td><td>हां ☐ नहीं ☐</td></tr>
<tr><td>7</td><td>क) पिछले 3 वर्षों के दौरान किया गया उत्पादन</td><td>
<table>
<tr><td colspan="6">इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात कुल</td></tr>
<tr><td colspan="3">संख्या</td><td colspan="3">कारोबार (रु. में)</td></tr>
<tr><td>प्रथम वर्ष</td><td>द्वितीय वर्ष</td><td>तृतीय वर्ष</td><td>प्रथम वर्ष</td><td>द्वितीय वर्ष</td><td>तृतीय वर्ष</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">नोट: वास्तविकता का पता लगाने के लिए बिक्री कर के रिकार्ड/उत्पाद शुल्क के रिकार्ड/लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं में दिए गए आंकड़ों से उत्पादन आंकड़ों का मिलान किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) पिछले 3 वर्ष के दौरान किया गया उत्पादन डीपीआर और जीआर के अंतर्गत (1:5 के कारोबार अनुपात के लिए न्यूनतम निवेश के अध्यधीन डीपीआर के अनुसार अनुपात) मानकों के अनुसार अनुमानित उत्पादन के बराबर अथवा अधिक है और दस्तावेजी साक्ष्य से अभिपुष्टि की गयी है।</td><td>हां ☐ नहीं ☐</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>क) पिछले 3 वर्षों के दौरान सृजित किया गया रोजगार</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">
<table>
<tr><td colspan="11">इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात सृजित किया गया वास्तविक रोजगार (स्तर-वार)</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रबंधकीय</td><td colspan="2">प्रबंधकीय</td><td colspan="2">प्रबंधकीय</td><td colspan="2">प्रबंधकीय</td><td colspan="3">प्रबंधकीय</td></tr>
<tr><td>पुरुष</td><td>महिला</td><td>पुरुष</td><td>महिला</td><td>पुरुष</td><td>महिला</td><td>पुरुष</td><td>महिला</td><td>पुरुष</td><td>महिला</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
नोट:वास्तविकता का पता लगाने के लिए बिक्री कर के रिकार्ड/उत्पाद शुल्क के रिकार्ड/लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं में दिए गए आंकड़ों से उत्पादन आंकड़ों का मिलान किया जाएगा।
</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) पिछले 3 वर्ष के दौरान सृजित किया गया रोजगार डीपीआर और जीआर के अंतर्गत (डीपीआर और प्रत्येक एक करोड़ रुपए के निवेश के प्रति 60 नौकरी के न्यूनतम उद्योग मानदंड के अध्यधीन) मानदंडों के अनुसार अनुमानित रोजगार सृजन के बराबर अथवा अधिक है और दस्तावेजी साक्ष्य से अभिपुष्टि की गयी है।</td><td>हां ☐ नहीं ☐</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>क) एटीयूएसएफ के अंतर्गत 10% अतिरिक्त सीआईएस की राशि</td><td>रुपए</td></tr>
<tr><td></td><td>ख) क्या 10% अतिरिक्त सीआईएस 20 करोड़ रुपए की सीआईएस सीमा के भीतर है (प्राप्त किया गया 10% अतिरिक्त सीआईएस यदि कोई हो, सहित)</td><td>हां ☐ नहीं ☐</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस के लिए विचार की गई पात्र मशीनरी की कुल लागत</td><td>रुपए._____</td></tr>
<tr><td></td><td>एटीयूएफएस के अंतर्गत स्थापित/आरंभ की गई मशीने (दिए गए अनुबंध के अनुसार प्रस्तुत की गई मशीन का ब्यौरा)</td><td>10% अतिरिक्त सीआईएस</td></tr>
<tr><td></td><td>क्या जेआईटी सब्सिडी रिलीज करने की सिफारिश करती है</td><td>हां/नहीं</td></tr>
<tr><td></td><td>यदि हां, पात्र निवेश</td><td>रुपए_____</td></tr>
<tr><td></td><td>यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>एटीयूएसफ के अंतर्गत 10% अतिरिक्त सीआईएस के अंतर्गत पात्र सब्सिडी की राशि</td><td>रुपए _____</td></tr>
</table>

इकाई के मालिक/

प्राधिकृत व्यक्ति के मुहर सहित हस्ताक्षर

(जेआईटी के हस्ताक्षर)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2017

संकल्प

सं. ई-11016/5/2014-हिंदी——इस मंत्रालय के दिनांक 23 मार्च, 2011, 10 फरवरी, 2012, 03 अक्तूबर, 2012 तथा 07 जून, 2013 के संकल्प सं. ई-11016/1/2009-हिंदी का अधिक्रमण करते हुए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। इस समिति की संरचना, कार्य, कार्यकाल आदि निम्न प्रकार होंगे :

1. संरचना

कोयला राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)		अध्यक्ष
गैर-सरकारी सदस्य संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित		
1	श्री नित्यानंद राय, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
2	श्री विजय सिंह मोहिते पाटील, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
3	श्री मेघराज जैन, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
4	श्री अनिल देसाई, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित		
5	श्री अश्विनी कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
6	डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित		
7	श्री गोपाल कृष्ण फरलिया, सदस्य, परामर्शदात्री समिति, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, डी 2/2205, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070	सदस्य
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित		
8	श्री सूर्यवंशी चौधरी, अध्यक्ष, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी नगर, वर्धा - 442003	सदस्य
कोयला मंत्रालय द्वारा नामित		
9	श्री भगवान सिंह, 102, अम्बुज टावर, तिलकामाझी, भागलपुर, बिहार-812001	सदस्य
10	श्री सत्यव्रत शास्त्री, राष्ट्र गौरव सदन, म.नं. 1375, सैक्टर-1, हुड्डा, नारनौल, जिला-महेन्द्रगढ़, हरियाणा-123001	सदस्य
11	डॉ. प्रेम शर्मा तन्मय, 17ई/154, नन्दनवन, जोधपुर, राजस्थान	सदस्य
12	डॉ. कुंवर बेचैन, 2 एफ - 52, नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001	सदस्य
राजभाषा विभाग द्वारा नामित		
13	श्री अशोक अर्गल, अर्गल वाली गली, दत्तपुरा, मुरैना (म. प्र.)- 476001	सदस्य
14	पं. श्री कृष्ण मुद्गिल, 85, ऑरेंज ड्राइव मालिब, टाऊन, गुरुग्राम (हरियाणा)	सदस्य
15	सुश्री प्रांजलि सिंह, म.नं.-ई-11, सेक्टर-12, नोएडा (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
सरकारी सदस्य		

16	सचिव, कोयला मंत्रालय	सदस्य
17	सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार	सदस्य
18	अपर सचिव, कोयला मंत्रालय	सदस्य
19	संयुक्त सचिव (आरपीजी), कोयला मंत्रालय	सदस्य
20	संयुक्त सचिव (वीबी), कोयला मंत्रालय	सदस्य
21	संयुक्त सचिव (वीपी), कोयला मंत्रालय	सदस्य
22	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, कोयला मंत्रालय	सदस्य
23	सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय	सदस्य
24	आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय	सदस्य
25	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
26	अध्यक्ष, कोल इंडिया लि., कोलकाता, (प.बंगाल)	सदस्य
27	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लि., धनबाद, (झारखंड)	सदस्य
28	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि., रांची (झारखंड)	सदस्य
29	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., बर्द्धवान, (प.बंगाल)	सदस्य
30	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, महानदी कोलफील्ड्स लि., सम्बलपुर, (ओडिशा)	सदस्य
31	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., सिंगरौली, (मध्य प्रदेश)	सदस्य
32	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)	सदस्य
33	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., नागपुर (महाराष्ट्र)	सदस्य
34	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इन्स्टीच्यूट लि., रांची (झारखंड)	सदस्य
35	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएलसी इंडिया लि., नेयवेली, (तमिलनाडु)	सदस्य
36	कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का कार्यालय, कोलकाता (प.बंगाल)	सदस्य
37	आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद (झारखंड)	सदस्य
38	संयुक्त सचिव (प्रशासन/राजभाषा प्रभारी), कोयला मंत्रालय	सदस्य सचिव

2. समिति के कार्य

इस समिति का कार्य केंद्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों के अनुसार कोयला मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों/कंपनियों को सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल

इस समिति का कार्यकाल सामान्यत: इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा, बशर्ते कि :-

(i) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ii) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे।

(iii) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य समिति के तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा; और

(iv) विशेष परिस्थितियों में कोयला मंत्रालय द्वारा समिति का कार्यकाल कम अथवा ज्यादा किया जा सकेगा।

4. सामान्य

(i) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किंतु समिति अपनी बैठकें मुख्यालय से बाहर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

(ii) समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों (संसद सदस्यों को छोड़कर) को राजभाषा विभाग के 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/22034/04/86-रा.भा. (का.-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियमों एवं दरों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(iii) हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में भाग लेने वाले संसद सदस्य 'संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954' तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस " संकल्प " की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, संसदीय राजभाषा समिति और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कोयला मंत्रालय और इसके अधीन सभी कंपनियों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/स्वायत्त निकायों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर के सिन्हा
संयुक्त सचिव

———————

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 19th January 2017

No. 3-Pres/2017—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/ 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

Name & Rank of the Officers

S/Shri

1.	Mashkoor Ahmed, Dy. Superintendent of Police	(PMG)
2.	Feroze Ahmad, Dy. Superintendent of Police	(PMG)
3.	Vinod Kumar, Assistant Sub Inspector	(PMG)
4.	Imtiyaz Mohammad, Head Constable	(1st Bar to PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 27/28-December, 2012, on a specific information, a joint operation by Police, 182 Bn of CRPF and 55 RR was launched in village Chandgam Pulwama. During search operation presence of two terrorists was confirmed in the house of one Bashir Ahmed Kar S/o Gh Ahmed Kar Rio Chandgam Pulwama. In the first instance, the cordon around the said Mohalla was tightened and all the civilians were evacuated from the Mohalla as well as from the target house. The terrorists hiding in the house were repeatedly asked to surrender during whole night which they ignored. In the wee hours of next morning, the terrorists were again asked to surrender but they refused and instead lobbed two grenades towards operational parties and started indiscriminate firing. The fire was retaliated in self defence and indiscriminate firing started between terrorists and security forces, which lasted for about 15 hours. During gun battle one Grenade exploded near the nafri of Police Camp Pulwama, who had a narrow escape. Suddenly one of the terrorist came out from the said house with indiscriminate firing with the intention to disrupt the cordon and escape from the encounter site. However, the troops retaliated the fire effectively and killed him on spot.

The fire fight with another terrorist continued and at about 1130 hrs the firing from inside the house stopped. The troops and Police Party waited for some time and a joint party of SOG Pulwama and 55 RR including 182 CRPF was formed for the task to carry out search of said house and found one terrorist dead on the floor. During indiscriminate firing, Head Constable Imtiyaz Mohammad of Police Camp Pulwama and Army Officers namely Tanmoy Rath IC-68311M and Captain Kapil Mamraj Singh IC-69487K of 55 RR were injured, who were immediately evacuated to Srinagar for further treatment. In the entire Operation, Mashkoor Ahmad DySP (OPS) Pulwama and Feroze Ahmed Dy,SP (OPS) of Srinagar alongwith ASI Vinod Kumar of SOG Srinagar and Head Constable Imtiyaz Mohammad AP 14th Bn lead and supervised the team in an efficient and diligent manner, which resulted in successful operation.

Recoveries made:

i)	A.K.-47 Rifles	-	02 Nos.
ii)	A.K.-47 Magazine	-	03 Nos.
iii)	A.K. Rounds	-	37 Nos
iv)	Pistol (Chinese)	-	01 Nos.
v)	Magazine Pistol	-	01 Nos.
vi)	Rounds (.32 Chinese Pistol)	-	03 Nos.
vii)	Pouch	-	02 Nos.
viii)	Web belt	-	01 No.

In this encounter S/Shri Mashkoor Ahmed, Dy. Superintendent of Police, Feroze Ahmad, Dy. Superintendent of Police, Vinod Kumar, Assistant Sub Inspector and Imtiyaz Mohammad, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/12/2012.

A. RAI
Officer on Special Duty

No. 4-Pres/2017—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police:-

Name & Rank of the Officers

S/Shri

1. Hari Prasad Sah,
   Sub Inspector
2. Parmanand Paswan,
   Assistant Sub Inspector
3. Anand Kishor Osga,
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 31.03.2006 at 8:30 hrs S.I. Hari Prasad Sah, Bhandaria P.S. after receiving intelligence M.C.C Extremists of Jharkhand-Chhattisgarh with different arms at Kutku village. Immediately he entered the information in station diary vide S.D. No 458 dated 31.03.2006 and informed higher authorities. Thereafter officer in-charge left for village Kutku at 9 hrs along with A.S.I. Parmanand Paswan, CT Anand Kishor Osga and the force of C.R.P.F. available at the P.S.

As soon as the party reached near river Haraiya west of village Kutku the vehicles left there and the police party divided into two parts. One party lead by officer in-charge S.I. Hari Prasad Sah and another party lead by A.S.I. Parmanand Paswan. The police party reached near the house situated in western side of village kutku when the extremists (M.M.C) started indiscriminate firing with an apparent intention to annihilate the police party which endangered the lives of police party. SI Sah finding them placed in a precarious situation with no other alternative to fire, in self defense and also in order to save the life of the members of the police party and safe-guard the arms/ammunitions. S.I. Sah ordered the police party to take position and fire. He himself along with Hav. Pyare Lal begin to go towards extremists and take position and firing from AK-47 which hit some of the extremists and they fell down. The extremists about 25-30 in number assembled near the lmli tree from where they continued intermittent firing on the police party. In the mean time he directed the another police party led by A.S.I. Parmanand Paswan on wireless to advance towards extremists. He himself along with C/Bishnu Patil, CRPF and CT Anand Kishore Osga begin to advance forward as a result of which he succeeded in apprehending one of the extremist who was in police uniform amids of indiscriminate firing at the risk of life. On the other hand ASI Parmanand Paswan along with Hav. Yaspal Singh and Hav. Gulab Chand showed their boldness and courage. He was in police uniform and firing with his rifle. Later on the arrested extremist disclosed their identity on interrogations as Surender Bhuihar S/O Luxman Bhuihar of Kothli P.S. Shankargarh Distt.-Sarguja Chhattisgarh and Govind Banjari S/O Arjun Banjari of Pathal Gaon Shanti Nagar P.S. Pathal Gaon Distt. Chhattisgarh. Both SI Hari Prasad Sah and ASI Parmanand Paswan who led the police party are very energetic and bold. They led the police party in chasing the extremists and catch hold of quagmire of firing and cross- firing and under the cover of fire the extremists began to escape towards the forest. Thereafter they climbed on the top of the mountain and started firing indiscriminately on the police party. Since the extremist had taken position on the mountain there was no effect on them from the police firing. Therefore finding no way out Hari Prasad Sah ordered Bahadur Singh of CRPF to throw a H.E Bomb and as a result of which the extremists were frightened and fled away into the thick forest. They were chased and searched but they could not be located. While retreating the police party saw some stains of blood on the way and sign of body to be pulled on and as such it was believed that the extremists had taken some injured extremists with them.

Thereafter on thoroughly search of the P.O dead body of one extremist was found lying near the house of one villager named Anil Kerketta. The dead was identified by the arrested extremist as Parson Turia of Ghugri P.S. Shankargarh, Distt. Sarguja, Chhattisgarh. On the search of deceased Parson Turia, a regular rifle of .315 Bore, a magazine with loaded cartridge, a black vindolia bound with the waist having 75 live cartridges of .315 Bore. With arrested extremist Surendar Bhuihar a police rifle no. TD 3527 of .303 Bore with the magazine. A vindolia bound with the waist having 68 live cartridges of .303 Bore, 02 cartridges of .303 Bore loaded in the magazine of rifle. A country made pistol of .315 Bore loaded with cartridge from waist. With Govind Banjari a regular rifle of .315 bearing rifle no. 04-4420 with a loaded magazine. A bandolia bound with the waist having 64 live cartridges of .315 Bore. On the search of P.O other arms/ammunitions and

articles also found (01) A country made rifle of .315 Bore with magazine. (02) 4 bandolia having 102 live cartridges of 7.62 mm. (03) 23 live cartridge of 202 Bore. (04) 70 live cartridge of .315 Bore. (05) 12 back hanger bags having articles of daily use of the extremists. The arms/ammunitions and other items found in the P.O were seized by the police. The police party reached the police station safely along with recovered dead bodies and seized materials and registered an F.I.R.

Summing up the above facts and circumstances emerging out of each moment of the unforgettable encounter lasted for many hrs. (From 12:30 to 18:00). The nominees showed a rare sense of courage coupled with unbridled devotion of duty. SI Sah took timely action reached the place of occurrence with force and faced the grim situation with all grit and patience. His performance was extra-ordinary persuasive, spectacularly gallant and high order. He was actively supported by ASI Parmanand Paswan who was being the leader of police party. So did CT Anand Kishor Osga. This encounter was successful with the support of CRPF jawans as well as police of Garhwa district.

In this encounter S/Shri Hari Prasad Sah, Sub Inspector, Parmanand Paswan, Assistant Sub Inspector and Anand Kishor Osga, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31/03/2006.

A. RAI
Officer on Special Duty

No. 5-Pres/2017—The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Ashwini Kumar Sinha,
   Sub Divisional Police Officer

2. Praveen Kumar Jha,
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 27.04.2010 an outstanding piece of work has occurred due to a joint operation of Latehar District Police and 2 platoons CRPF of 134 Battalion which is led by Sub Divisional Police Officer Barwadih Sri Ashwini Kumar Sinha and duly supported by Insp/GD Roop Chand of CRPF. On 27.04.2010 under the leadership of SDPO Barwadih Sri Ashwini Kumar Sinha a police party consisting of OC Garu ST Siyasaran Prasad, body guard/reserved guard of Barwadih SDPO, Cl/GD Roop Chand Bhardwaj, SI/GD Ved Singh, 40 Armed constable of 134 Bn CRPF proceeded for night area domination from Garu Police Station. When this Police party reached village Ladi at 07:45 PM, CPI Maoists party started firing upon the police party. The CPI Maoists party had taken prior position near the house of one Kameshwar Singh of Ladi and that party started firing heavily upon the moving police party from South-West direction. The Police party immediately took position under the available morchas and covers and alerted the extremists party, "Stop firing, surrender before us, we are police personnel". But the Maoists did not heed the alert, instead they intensified their firing. Finding no option to protect their lives and arms, police-party started firing in retaliation. SDPO Barwadih Sri Ashwini Kumar Sinha led from the front, showing outstanding piece of gallant action, wit and courage. SDPO Barwadih was well supported by the Const. Praveen Kumar Jha with his bravery. It was night and complete darkness was prevailing all over. In this odd and difficult situation police party fought with the extremists for approx one hour under the brave and inspiring leadership of SDPO Barwadih Sri Ashwini Kumar Sinha. Sensing the inevitable defeat, CPI Maoists started receding but continued firing at the police party. At last due to growing police pressure extremist's party fled away under the cover of Jungle and darkness. When the encounter was over, area search operation was started by the police party. During the search operation one CPI Maoists in black uniform with bandolier was found dead in South-West direction of the house of Kameshwar Singh. Besides that Maoist dead body one .303 rifle and one haversack was found. In the bandolier 81 rounds live cartridges were found. In the haversack old naxal copies and other provisions and items of daily use were recovered. The police party conducted the procedure of search and seizure before the independent witnesses, Bishram Singh S/o Kameshwar Singh R/o Ladi PS: Barwadih and Jagni Devi W/o Ram Avtar Singh R/o Surkumi PS Garu. In this fearsome encounter which took place between police and Maoists party in the night at village Ladi PS: Barwadih, Distt: Latehar, the leader of the police party Dy. SP Ashwini Kumar Sinha has shown great leadership, wit and unparalleled bravery and gallant act which inspired the other police officers and constables to give a befitting reply to the extremists. SDPO Barwadih Dy SP Ashwini Kumar Sinha without thinking of his precious life plunged himself into the deep trouble to retaliate the targeted and heavy firing of CPI Maoists which shows his extraordinary bravery

and outstanding piece of gallantry leading to fizzle out the nefarious designs of extremists. Const. Praveen Kumar Jha has also shown exemplary piece of gallant action and duly supported the SDPO to fight the naxals. In this encounter Inspr/GD Roop Chand Bhardwaj had given full support to the leader, in result Ct/GD Satyendra Kumar Singh and CT/GD Anil Kumar of CRPF 134 Bn. also fought bravely and courageously. This encounter is an outstanding piece of work which will become a milestone in the downfall of naxal activities. This encounter has boosted the confidence of the police.

Regarding this incident (encounter) an FIR Barwadih PS case No 26/10 dated 27.04.10 U/S-147/148/149/307/353/121 IPC, 25(1-b)A/27 Arms Act, 17 CLA Act 10/13 UAPA has been lodged.

Recovery : Dead body of one naxal cadre of PLGA, along with weapon .303 rifle-01 No. live rounds of .303- 81 Nos. and other items.

In this encounter S/Shri Ashwini Kumar Sinha, Sub Divisional Police Officer and Praveen Kumar Jha, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27/04/2010.

A. RAI
Officer on Special Duty

No. 6-Pres/2017—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jharkhand Police:-

Name & Rank of the Officers

Shri Ashish Kumar Choudhary,
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

Two platoons of E/133 Bn. under command Miss Maya Rani, Assistant Commandant along with civil police component led by Ghagra P.S Officer-in-Charge Ramdayal Munda and ASI Ashish Kr. Choudhary were on area domination duty in the interiors of P.S. Ghagra since 07:00 hours on 07/04/2009. The party had traversed the cross-country route and reached the hillock of the village Jilingsera and Tanbil toli. At about 14:45 hours when party was coming down from the hills to village Jilingsera it came across, the scout of naxals group who were on Motor cycles. The scout personnel led by HC/GD K.D. Dev and Force HC/GD Bipul Chetia, SI, Ram Dayal Mupda and ASI Ashish Kr. Choudhary Distt. Police challenged them. Instantly police scout was fired upon by the naxals from automatic weapons. HC/GD K.D. Dev and Force HC/GD Bipul Chetia, CT/GD Raushan Ali, SI, Ram Dayal Munda and ASI Ashish Kr. Choudhary Distt. Police immediately who were leading scout showed great tactical skills and taking proper cover retaliated the fire. In the meanwhile naxals left the motor cycles and started moving towards the jungle while firing on troops. Soon heavy exchange of fire between troops and extremists who were about 30 in number ensued. In an hour long close gun battle police troops fired H.E. Bombs and Rifle grenades. Meanwhile on getting information, QRT/133 under command Shri Pramod Kumar D.C (ops) along with S.P Gumla Shri Upendra Singh rushed to the spot. After the encounter was over the area was searched and two dead bodies of extremists later identified as Sanjay Oraon, Area Commander of PLFI group, R/o Hisir, PS Bihanpur, Distt. Gumla and Birsa Oraon, R/o Palkot, PS Palkot, Distt. Gumla were recovered. One alive extremist Santosh Kerketta, Aged-14 yrs, S/o Sukhdev Kerketta, R/o Salgi, P.S. Ghagra, Distt. Gumla was apprehended and two weapons were recovered. Rest of the extremists fled through the adjoining rivulet covered with thick forest. However it is expected that few other extremists have been injured. The killed and apprehended are from the PLFI faction of Maoist earlier known as JLT. In the whole operation force HC/GD K. D. Dev, HC/GD Bipul Chetia, CT/GD Raushan Ali, SI Ram Dayal Munda and ASI Ashish Kr.Choudhary Distt. Police exhibited exemplary bravery sheer determination and were in the actual battle field who fired and whose swiftness of action risking their own lives resulted in killing of the extremists. After search of the area in addition to dead bodies of killed extremists and weapons following items were recovered:-One 9 mm Carbine with sling, Carbine magazine-One, 9 mm pistol (Made in USA)-One, 9 mm magazine-One, 9mm live Rounds-Eleven Nos., Mobile sets with Sim card- Three Nos. (One Reliance and Two Nokia), O.G. hand Bag-one Bandolier 0.G-One, Sim Card-Nine Nos., PLFI pamphlet-one, Motor Cycle-Two Nos without Number plate (One Bajaj discover and one 125 CC Bajaj), INSAS, pull through-one and one Purse.

In the follow up incident dated 07/04/2009 an operation was planned by S.P. Gumla Upendra Singh and Shri Pramod Kumar, D.C (ops)/133 to cordon and search the area of Jilingsera jungle. As per operational plan two platoons of E1133 under command Miss Maya Rani, Assistant Commandant QRT/133 under command Pramod Kumar, D.C (ops) and civil police component of P.S Ghagra under command officer-in-charge P.S Ghagra left for cordon and search in the jungle

of Jilingsera, the site of 07/04/2009 encounter. During combing of 07/04/2009 encounter site in jungle North of village Jilingsera one dead body of one extremist later identified as that of Sonu Munda alias Daya Munda, Aged-19/20 yrs, S/o Late Devgan Munda, R/o Salgi Duriatoli, P.S. Ghagra, Distt- Gumla who had managed to escape during 07/04/2009 encounter with his associate Vimal Lakra was found. Further search resulted in recovery of one Hero-Honda Motor Cycle lying behind a large boulder.

In the whole operation the HC/GD K.D. Dev force HC/GD Bipul Chetia and Force CT/GD Raushan Ali, SI, Ram Dayal Munda and ASI, Ashish Kr. Choudhary Distt. Police have also exhibited grit and swiftness of action risking their own life was outstanding in which they not only killed three dreaded extremist but have considerably dented the morale of the PLFI faction of Maoist earlier known as JLT activists.

Recoveries Made:- One 9mm Carbine with sling, Carbine magazine, One 9mm Pistol (Made in USA), One 9mm Magazine, One 9mm live Rounds-Eleven Nos., Mobile sets with Sim card etc.

In this encounter Shri Ashish Kumar Choudhary, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07/04/2009.

A. RAI
Officer on Special Duty

No. 7-Pres/2017—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

Name & Rank of the Officers

S/Shri

1. Amit Kumar Singh,
   Commandant
2. Santosh Kumar Singh,
   Assistant Commandant
3. Partha Barman,
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the night of 27/12/2012 at around 2300 hrs Shri Santosh Kumar Singh, Asst. Comdt. received an information from SOG Pulwama about the presence of some militants in village Chandgaon in Distt. Pulwama. He immediately conveyed this to Shri Amit Kumar Singh, Commandant 182 Bn, CRPF, and on his directions reached on the spot with two platoons of F/182 Bn, CRPF. Shri Amit Kumar Singh, Commandant, too, acted promptly and left for the village with his Quick Action Team.

After reaching the village, Shri Amit Kumar Singh tactically analyzed the village and ordered the cordon of 4-5 suspected houses in surreptitious manner so as to zero on the target house. The village has a treacherous terrain with a cluster of houses on one hand and uneven hilly terrain on the other, posing twin risks of guerilla attack on the SFs and also the probability of collateral damage. As the cordon was being laid, Shri Amit Kumar Singh spotted a person trying to sneak out from one of the houses. Without losing any time he pounced and nabbed him bravely without caring for the threat of life which that person could have posed. On being interrogated, he identified himself as Dr. Bashir Ahmed, a dentist by profession, and reluctantly revealed that two dreaded LeT militants were hiding inside his house. Immediately, Shri Amit Kumar Singh, laid siege around the target house and called Shri Hemant Kumar Sharma, Asstt. Comdt. 182 Bn and SOG Litter to strengthen the cordon. He along with Shri Santosh Kumar Singh, Asst. Comdt and CT/GD Partha Barman tactically positioned himself on the main entrance of the compound wall of the target house so as to monitor the movement of militants and tactically issue effective fire control order. As the weather conditions were hostile and pitch darkness engulfed the target house, it was decided to launch an assault in the wee hours of morning.

Meanwhile, at around 0200 hrs on 28/12/2012, the troops of 55 RR under the command of Major Tanmoy Rath also reached at the spot, who after being briefed by Shri Amit Kumar Singh, Commandant took their positions in the adjoining houses. At about 0215 hrs, militants who by then had come to know about being cornered, lobbed a grenade followed by indiscriminate fire towards the main entrance of compound wall in a bid to escape under cover of darkness. But Shri Amit

Kumar Singh, Shri Santosh Kumar Singh and CT/GD Partha Barman who were positioned there immediately fired back at the militants. A grenade exploded barely 10 feets away from the above personnel causing splinter bruises to them, however, this did not deter them and they held their ground. Failing in the bid to escape by the fierce retaliation of the troops the militant went back inside the house and started shouting pro-freedom slogans in local dialect and opened indiscriminate fire towards the gate. Shri Amit Kumar Singh at this moment took the lead and alongwith Shri Santosh Kumar Singh and CT/GD Partha Barman, crawled to some distance, came out of the cover and retaliated the fire courageously without caring of their lives. The fierce gun-fight lasted for around an hour after which the firing from inside the house stopped. During the fierce gun battle Shri Amit Kumar Singh,Sheri Santosh Kumar Singh and CT/GD Partha Barman displayed utmost disregard to their personal life and safety, faced the onslaught of the militants bravely and did not give them any chance to escape or inflict casualties on Security Forces. At the first light, at around 0700 hrs, as the troops were getting ready to enter the house and launch a final assault, Shri Amit Kumar Singh spotted a militant rushing out the target house raining volley of bullets towards them. Shri Amit Kumar Singh immediately jumped and pushed Shri Santosh Kumar Singh and CT/GD Partha Barman to ground, as the bullets just whizzed past them, and the three fired back at the militant and gunned him down. Another militant who was inside the hide out was still firing at the troops by frequently changing his position. Shri Amit Kumar Singh, Shri Santosh Kumar Singh and CT/GD Partha Barman alongwith assault team formed, crawled their way to the proximity of the target house and fired fiercely in the direction of approaching fire from a close range, defying all the safety odds, thus neutralizing the militant.

The assault team further carried out room intervention under great threat to their lives and recovered the two dead bodies of the militants alongwith their weapons.

The slain militants were identified as:-

i) Imtiyaz Ahmed Teli (Area Commander of LeT outfit, category A+) aged about 25 years son of Gulam Rasool R/O Pettipora, District - Pulwama (J&K)

ii) Mohammad Amir Bhat (LeT outfit) R/O village Handew, DisttSophian (J&K)

This daunting operation under the able aegis of Shri Amit Kumar Singh, Commandant, thwarted and busted the dreaded LeT module.

Recoveries made :

i).	A.K.-47 Rifle	02 Nos. (01 partially damaged)
ii).	A.K.-47 Magazine	03 Nos. (02 damaged)
iii).	A.K. Rounds	37 Nos.
iv).	Pistol (Chinese)	01 No.
v).	Magzine (Chinese Pistol)	01 No.
vi).	Rounds (Chinese Pistol)	03 Nos. (02 missed rounds)
vii).	Body Pouch	02 Nos.
viii).	Web belt	01 No.

In this encounter S/Shri Amit Kumar Singh, Commandant, Santosh Kumar Singh, Assistant Commandant and Partha Barman, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/12/2012.

A. RAI
Officer on Special Duty

No. 8-Pres/2017—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

Name & Rank of the Officers

S/Shri

1.	Avadh Bihari, Assistant Sub Inspector	(PPMG) (Posthumously)
2.	Suresh Kumar, Second-In-Command	(PMG)

3.	Arup Barua, Constable	(PMG)
4.	Saurabh Chhetri Constable	(PMG)
5.	Hem Chandra Medhi, Constable	(PMG)
6.	Awadesh Pal Singh, Head Constable	(PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 13-03-2013, F Company of 73 Bn, CRPF was earmarked for deployment in the area of Police Post Bemina, Srinagar (J&K) in view of Bandh call given by Muslim Mushawrat Majlis (MMM). Troops including unarmed law and order component were kept reserve in the ground of J&K Police Public School, Bemina for further deployment. In the corner of the ground, on highway, one Section of 44 Bn had laid Naka at Bemina Chowk, Srinagar in which HC/GD Awadheshpal Singh, Ct/GD Arup Barua, Ct/GD Hem Chandra Medhi and CT/GD Saurabh Chhetri were on duty from 0700 Hrs to 1300 Hrs. Around 35 -40 children / youth were present in the ground and getting ready to play a cricket match. At about 1045 Hrs, two fidayeens taking advantage of the crowd entered the ground in the guise of players. To accomplish their ill intention, they took out their weapons and grenades hidden inside their cricket kit bags and started indiscriminate fire at the troops waiting in the ground. The unarmed law and order component of the company found itself helpless with no cover nearby. ASI/GD Awadh Bihari Singh seeing his troops helpless and falling prey to intense fire of fidayeens decided to counter-attack without caring for his own life. He immediately manoeuvred and positioned himself between the terrorists firing at the unarmed troops and retaliated with firing. His bold and daring attempt forced the fidayeens to direct their fire towards ASI/GD Awadh Bihari Singh thereby enabling the trapped troops to take cover. Though, ASI/GD Awadh Bihari Singh fought courageously with fidayeens but in this effort of saving the lives of his compatriots the bullets of fidayeens hit him and he attained martyrdom.

The troops stationed at nearby Naka fired back at them. The fidayeens on receiving the fire from Naka, fired back UBGLs at the morcha from where the Naka party was firing. HC/GD Awadheshpal Singh, CT/GD Arup Barua, CT/GD Hem Chandra Medhi and Ct/GD Saurabh Chhetri who were inside the morcha came under intense fire with bullets and grenades hitting all over the walls of Morcha. HC/GD Awadheshpal Singh realizing that they have holed-up inside the Morcha and it was impossible to retaliate and neutralize the fidayeens, ordered his troops to move out and crawl to different locations for a multi-directional attack. Soon the four daredevils crawled out of Morcha with bullets thudding the ground all around and moved along a drain to take positions at different points for further launching a concerted attack. After crawling to a distance under a hail of bullets, the four launched a concerted counter fire and neutralized one of the fidayeen. Seeing the fate of his buddy, the second fidayeen withdrew and started moving towards the hostel building of the school. Meanwhile, hearing the sound of firing of guns and explosion of grenades, Shri Suresh Kumar 2-I/C, of 73 Bn reached the spot with his escort. Immediately, he assessed the situation and moved towards the second fidayeen in his bulletproof vehicle. The fidayeen fired and lobbed grenades at his vehicle which resulted in puncturing of his vehicle tyre but without caring for it Shri Suresh Kumar 2-I/C kept moving on punctured vehicle and engaged the fidayeen. At that point of time, the only thing he had in his mind was to stop the movement of fidayeen into the hostel as it would result in civilian casualties or a hostage like situation. In this pursuit he even came in between the cross-fire of fidayeen and Naka troops but that too did not deter him. Despite heavy firing and shelling, he engaged the fidayeen and after a fierce close quarter gun fight neutralized him.

Due to the concerted engagement and accurate firing by the security forces under close supervision of Shri. Suresh Kumar, 2-I/C, both the fidayeens were neutralized. In the face of grave danger, the team of CRPF personnel maintained their cool and did not resort to panic fire thereby ruling out collateral damage. Due to the brave, courageous and gallant action of Shri Suresh Kumar, 2-I/C, ASI/GD Awadh Bihari Singh of 73 Bn, HC/GD Awadheshpal Singh, Ct/GD Arup Barua, Ct/GD Hem Chandra Medhi and Ct/GD Saurabh Chhetri of 44 Bn, both the fidayeens namely Haider and Saif of Pakistan could be neutralised and number of precious lives of school children, teachers and other civilians apart from CRPF troops could be saved. The entire operation concluded within 15-20 minutes, which is a great success for CRPF in the history of such Fidayeens attacks.

Recoveries:-

i)	A.K. 47	-	02
ii)	A.K. Magzine	-	05
iii)	A.K. Pouches	-	02

iv)	UBGL	-	01
v)	H.E. 36 Grenades	-	04
vi)	UBGL Grenades	-	03
vii)	Grenade Pouches	-	02
viii)	Pistol	-	02
ix)	Pistol Magzine	-	02
x)	Pistol Round	-	02
xi)	A.K. 47 Round	-	60
xii)	Purse	-	02 with cash Rs. 6300/-

In this encounter S/Shri (Late) Avadh Bihari, Assistant Sub Inspector, Suresh Kumar, Second-In-Command, Arup Barua, Constable, Saurabh Chhetri, Constable, Hem Chandra Medhi, Constable and Awadesh Pal Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13/03/2013.

A. RAI
Officer on Special Duty

No. 9-Pres/2017—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Roop Chand,
   Inspector
2. Satender Singh,
   Constable
3. Anil Kumar,
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Charlie company of 134 Bn. CRPF was deployed in the worst Maoist affected district i.e. Latehar of Jharkhand State and tasked to conduct Anti-Maoist operations in the areas falling under Police Stations Garu and Barwadih of latehar district. Based on a general information that Maoist visit the villages located on the fringes of jungle during dusk to collect food and hold meeting, a patrol comprising two platoons of C/134 Bn under command of Insp/GD Roop Chand alongwith state police components comprising of Shri Aswani Kumar, SDPO, Barwadih, SI Siya Saran Prasad, SHO, PS-Garu and ten other state police personnel moved out for conducting operation in the evening of 27/04/2010. Insp/GD Roop Chand, the Company Commander along with his QAT was leading the troops from the front. As a strategy, the village to be entered was first kept under surveillance from a strategic distance for some time to notice any suspicious movement/activity and then the troops would move in for search. In the course, as troops were observing the village Ladi (PS-Barwadih, Distt-Latehar) with the help of Night Vision Device, they noticed some movement inside the village. As it had become dark it was not getting clear as to whether it was a movement of armed maoist or innocent civilians. Taking precaution and getting ready for any eventuality, Insp/GD Roop Chand alerted his troops and ordered them to take tactical positions while he himself got engulfed in planning the future course of action. He divided his troops into two groups and ordered one of them to cover the village from east side while he will lead the second group and enter the village from west side i.e. from jungle side. As Insp/GD Roop Chand alongwith two QAT personnel namely CT/GD Satender Singh and CT/GD Anil Kumar Singh forming scouts were tactically advancing towards the village with the help of NVD, they ascertained the presence of atleast one Maoist with gun near a house. Taking him to be a sentry, Insp/GD Roop Chand alongwith CT/GD Satender Singh and CT/GD Anil Kumar Singh, tactically crawled towards him with the aim of overpowering/neutralizing him. They were barely 20 meters away from their target, when the Sentry got the whiff of the unwanted movement. He immediately opened fire at the

advancing troops and ran behind the wall of the house for taking cover. Insp/GD Roop Chand, CT/GD Satender Singh and CT/GD Anil Kumar Singh had a narrow escape but instead of getting numbed by this life threatening situation, they held their nerves and fired back at the fleeing maoist. On hearing the sound of fire, the other Maoists who were present nearby took positions and started indiscriminate fire from south west direction. Insp/GD Roop Chand along with his troops immediately took position under the minimal available covers and returned the fire. The intense fire from the Maoists was hindering the efforts of the troops to make an advance and neutralize the Maoists. Moreover due to darkness and thick vegetation all around, the exact location of the hiding Maoists was not getting confirmed. Feeling the constraint, Insp/GD Roop Chand decided to first neutralize the Maoist who had moved behind the wall and was still firing from there. He took along CT/GD Satender Singh and CT/GD Anil Kumar Singh and the three crawled to their left under intense fire and flying bullets. After gaining a different angle they could make out the location of the maoist and with their aimed and accurate fire neutralized him. After opening a second front of the battle, the three made advance from North direction and opened heavy fire at the Maoists. Facing the fire from two directions and fearing to be overpowered by the security force, the Maoist fled deep into the jungle taking advantage of darkness, terrain and dense forest. After the encounter, the area was searched during which one dead body of a maoist along with his personal weapon (.303 Rifle), 81 Nos live rounds with charger and other miscellaneous items were recovered.

The act of Insp/GD Roop Chand, CT/GD Satender Singh and CT/GD Anil Kumar speaks volume of their tactical acumen, patience, perseverance and effective leadership qualities. The bravery and tactical brilliance which they displayed during the operation was enviable and exemplary. Their sheer initiative had not only neutralized the Maoist but had also lent credible confidence in other troops who ultimately compelled the other Maoists to retreat and flee in the forest.

In this encounter S/Shri Roop Chand, Inspector, Satender Singh, Constable and Anil Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27/04/2010.

A. RAI
Officer on Special Duty

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 10th January 2017

RESOLUTION

No.6/18/2016-TUFS.—The Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) was notified vide Resolution No. 6/5/2015-TUFS dated 13.01.2016. The Guidelines of ATUFS have been issued vide Resolution No. 6/5/2015 – TUFS dated 29.02.2016. Financial and operational parameters and implementation mechanism for ATUFS during its implementation period from 13.01.2016 to 31.03.2022 are laid down in the said Guidelines.

2. The Ministry notified the Scheme for Production and Employment Linked Support for Garmenting Units (SPELSGU) under ATUFS to incentivise production and employment generation in the garmenting sector vide Resolution of even number dated 25th July, 2016. Under SPELSGU, the additional incentive of 10% will be provided to the garmenting units which would be availing the 15% Capital Investment Subsidy (CIS) under ATUFS for the installation of benchmarked eligible machinery. The cap on capital investment subsidy for the eligible machines in the garmenting units has, therefore, been enhanced from Rs. 30 crore which was the cap under ATUFS, to Rs. 50 crore. This additional subsidy of 10% will be on achievement of the projected production and employment generation, as stated by the unit in the Detailed Project Report (DPR). The SPELSGU has come into effect from 13.01.2016 till 31.03.2019.

3. The Government has further approved reforms inter alia to boost Employment Generation and Exports in the Made-Ups Sector to provide production incentive through enhanced TUFS subsidy for made-ups similar to what is provided to garmenting unit based on additional production and employment under SPELSGU. An additional subsidy of 10% will also be provided to the made-ups units enhancing the cap to Rs. 50 crore on the lines of SPELSGU under ATUFS based on achievement of the projected production and employment as given in the Detailed Project Report (DPR). The additional subsidy will be disbursed after a period of three years. This will be based on a verification mechanism linked to production volume, employment and turnover. The Scheme will come into effect from 13.01.2016 till 31.03.2019.

1. OBJECTIVE :

To boost employment generation and exports in the made-ups sector, the Government would provide an additional 10% Capital Investment Subsidy (CIS) for made-ups units who have availed 15% CIS benefit under ATUFS based on the

achievement of projected production and employment after a period of 3 years. The period of 3 years will be counted from the date of release of ATUFS subsidy to the unit.

2. GENERAL ELIGIBILITY CONDITIONS

The made-ups units who have availed 15% CIS under ATUFS and fulfill the achievement of the production and employment generation after three years period as given below are only eligible for additional 10% CIS under the scheme:

(i) The production of made-ups made during the last 3 years is equal to or more than the expected production as per DPR and norms under GR (in accordance with the ratio given in the DPR subject to minimum investment to turnover ratio of 1:5).

(ii) The employment generation shall be in accordance with the employment figures given in the DPR subject to the minimum of the industry norm of 60 jobs per one crore rupees of investment (single shift working).

The additional subsidy shall be disbursed only after achieving the above two conditions at the end of the three years period.

3 NORMS FOR ELIGIBLE SUBSIDY

3.1 Every eligible made-ups unit which has availed 15% benefit under ATUFS will be paid an additional 10% Capital Investment Subsidy (CIS) on the eligible investment upto an additional maximum cap of Rs.20 crores. Thus, the total cap on subsidy for such a unit is enhanced under ATUFS from Rs. 30 crores to Rs. 50 crores (Rs.30 crores for 15% CIS and Rs.20 crores for additional 10% CIS respectively). This additional subsidy will be disbursed after a period of 3 years. This will be based on a verification mechanism linked to production volume, employment and turnover. The parameters for operationalizing the scheme will be as follows:

3.1.1 The production of the made-ups unit shall be in accordance with the ratio given in the DPR subject to minimum investment to turnover ratio of 1:5. In case of an existing made-ups unit, the production of the unit shall be in accordance with the ratio given in the DPR subject to minimum additional investment to additional turnover ratio of 1:5.

3.1.2 The employment generation shall be in accordance with the employment figures given in the DPR subject to a minimum of the industry norm of 60 jobs per one crore rupees of investment.

3. 2 Under ATUFS, there is a Joint Inspection Team (JIT) mechanism for assessing and certifying the eligibility and eligible subsidy amount. The JIT verifies the machines installed under ATUFS. This mechanism will be utilised to assess the employment and production figures furnished by the units in Format –A.

4. BUDGET ALLOCATION

Funds for meeting additional CIS for made-ups units will be provided for in the ATUFS budget in the respective years.

5. OPERATIONAL PARAMETERS

5.1 The applicants will upload the production and employment details along with their claim form and declaration as at Format-A for additional 10% CIS.

5.2 The JIT will verify the details and submit report in the format prescribed as at Format-B to the Textile Commissioner through the i-ATUFS software.

5.3 After examining the report of JIT, the Textile Commissioner will submit claim through the i-ATUFS software to the Ministry of Textiles for release of eligible subsidy.

5.4 All other conditions including the implementation mechanism, the monitoring mechanism, the safeguards against mis-utilisation, the grievance redressal mechanism, the amendment of guidelines etc., continue to remain the same as per guidelines of ATUFS to the extent applicable.

PUSHPA SUBRAHMANYAM
Additional Secretary

FORMAT – A

CLAIMS FORM FOR ADDITIONAL 10% CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY FOR MADE-UPS

PART-I

1.	TUFS Reference Number	
2.	UID No. & date	
3	Unit's company registration details or registration details with appropriate authority	Please upload a copy
4	Copy of recent electricity bill	Please upload a copy
5.	Date of last JIT conducted for 15% CIS	
6.	Date of submission of request by the TUFS applicant	*(auto generated from system)*
7.	Actual employment generated	

Actual employment generated after completion of this project (Level wise)										
Managerial		Supervisory		workers		Total		Persons covered under EPF scheme		
Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Total

Note: Supportive documents such as Muster Roll/ Employer's Contribution towards EPF Records etc have to be uploaded.

8. Actual production made

Total After completion of this project					
No. of pieces			Turnover (in Rs.)		
Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3

Note: Supportive documents such as, Sales Tax records/ excise records/audited annual accounts etc have to be uploaded.

Certified that:

The information furnished in this format is true and correct and furnished based on the documentary evidences available with the unit, which may be verified by the designated officers at any time.

Place:

(Signature)

Date : (Name and designation of the authorised signatory)

Note : Please affix seal/rubber stamp of the Company / Unit along with signature of the authorized signatory.

Fill in all the Items with specific details.

PART-II

Declaration to be furnished by the unit at the time of JIT

(On unit's letter head)

1. It is certified that I/We ----------has/have been pre-authorised and received 15% CIS under ATUFS for made-ups segment.
2. It is certified that I/We ----------has/have also been pre-authorized for an amount of Rs.---------- under A-TUFS for 10% additional CIS for made-ups segment.

I/We _____ (Name of the beneficiary unit) hereby certify that no machinery or any part thereof, for which benefits are being claimed/taken under TUFS, has been funded more than once from this bank and any other banks/Lending Agencies/Financial Institutions. A copy of duly signed certificate (in specified format) is uploaded which will be produced to JIT in original at the time of claiming subsidy.

3. I/we hereby undertake that in case of any variation / deficiency found in achievement of expected production and employment generation as per DPR/norms under guidelines of the GR, during the verification of the documents, assets of the company/ unit, or at any later stage, the benefits availed under A-TUFS will be returned to bank(s)/ Government with the applicable penal interest from the date of its receipt.
4. I/We ----------undertake that the unit has been operational for the last three years from------ to ------.

(Signature)
Name and Designation along with Seal

FORMAT – B

CERTIFICATION BY JOINT INSPECTION TEAM (JIT) ON ACHIEVEMENT OF EXPECTED PRODUCTION, TURNOVER AND EMPLOYMENT GENERATION BY MADE-UPS UNITS INTENDING TO AVAIL ADDITIONAL 10% CIS UNDER ATUFS

1. Date of Receipt of Unit's Application in O/oTxC:
2. UID No. Allotted by O/oTxC:
3. Date of Inspection:

<table>
<tr><td rowspan="8">4</td><td>Name & Address of the unit inspected with pin code
Taluka/Tahasil/Mandal:
District:
State:
Pincode:</td><td></td></tr>
<tr><td>Phone No./Mobile No.</td><td></td></tr>
<tr><td>Fax No.</td><td></td></tr>
<tr><td>E-Mail ID</td><td></td></tr>
<tr><td>Unit PAN No.</td><td></td></tr>
<tr><td>SSI Reg./EM No. & Date</td><td></td></tr>
<tr><td>Name of Contact Person
Contact No.:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td>Whether the unit found working on the address mentioned in the UID application.</td><td>Yes ☐ No ☐</td></tr>
<tr><td>If not, then actual address of the unit.
Taluka/Tehsil/Mandal:
District:
State:
Pincode:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>a)Whether details submitted in FORMAT-A by the unit and certified by the bank are found correct or not</td><td>Yes ☐ No ☐</td></tr>
<tr><td>b) If not, please specify</td><td></td></tr>
<tr><td>c) Whether Declaration in FORMAT C1 is obtained from the unit and attached</td><td>Yes ☐ No ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td>a)The production and turnover made during the last 3 years</td><td>
<table>
<tr><td colspan="6">Total After completion of the project</td></tr>
<tr><td colspan="3">No. of pieces</td><td colspan="3">Turnover (in Rs.)</td></tr>
<tr><td>Year 1</td><td>Year 2</td><td>Year 3</td><td>Year 1</td><td>Year 2</td><td>Year 3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Note: The production figures will be tallied against the figures reflected in Sales Tax records/ excise records/audited annual accounts to ascertain their correctness.</td></tr>
</table>

	b) Whether the production made during the last 3 years is equal to or more than the expected production as per DPR and norms under GR (Ratio as per DPR subject to minimum investment to turnover ratio of 1:5) and confirmed from the documentary evidence	Yes ☐ No ☐
8.	a) Employment generated during the last 3 years	

Actual employment generated after completion of the project (Level wise)										
Managerial		Supervisory		workers		Total		Persons covered under EPF scheme		
Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Total

Note: The employment numbers will be tallied against the members in the Employer's Contribution towards EPF Records to ascertain their correctness.

	b) Whether the employment generated during the last 3 years is equal to or more than the expected employment generation as per DPR and norms under GR (as per DPR subject to a minimum of the industry norm of 60 jobs per one crore rupees of investment) and confirmed that they are covered under EPF	Yes ☐ No ☐
9.	a) The amount of additional 10% CIS under ATUFS	Rs.
	b) Whether the additional 10% CIS is within the CIS limit of Rs. 20 crores (including the additional 10% CIS availed if any earlier)	Yes ☐ No ☐
10.	Total cost of eligible machinery considered for 15% CIS under ATUFS	Rs._____
	Machines installed/commissioned under ATUFS (Machine details to be furnished as per given Annexure)	Additional 10% CIS
	Whether JIT recommends for release of subsidy	Yes/ No
	If yes, then eligible investment	Rs._____
	If no, reason thereof	
11.	Eligible subsidy amount under additional 10% CIS under ATUFS	*Rs.* _____

Signature of the Owner/
Authorized person of the Unit with seal

(JIT signatures)

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 6th January 2017

RESOLUTION

No. E-11016/5/2014-Hindi—In supersession of Resolution No. E-11016/1/2009-Hindi, dated 23rd March, 2011, 10th Feb, 2012, 3rd Oct, 2012 and 7th June, 2013 of this Ministry, Ministry of coal, Government of India has decided to re-constitute the Hindi Salahakar Samiti. The Composition, Functions, Tenure etc. of the Samiti will be as under: -

1. Composition

	Minister of State for Coal (Independent Charge)	Chairman
Non-Official Member Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs		
1	Sh. Nityanand Rai M.P. (Lok Sabha)	Member
2	Sh. Vijaysinh Mohite Patil, M.P. (Lok Sabha)	Member
3	Sh. Meghraj Jain, MP (Rajya Sabha)	Member
4	Sh. Anil Desai M.P. (Rajya Sabha)	Member
Nominated by Committee of Parliamentary on Official Language		
5	Sh. Ashwini Kumar MP (Lok Sabha)	Member
6	Dr. Mahendra Nath Pandey, MP (Lok Sabha)	Member
Nominated by Kendriya Sachivalay Hindi Parishad		
7	Sh. Gopal Krishan Pharaliya, Member, Consultative Committee, Kendriya Sachivalay Hindi Parishad D-2/2205, Vasant Kunj. New Delhi- 110070	Member
Nominated by Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha		
8	Sh. Suryavanshi Chaudhary, President, Rashtrabhasha Prachar Samiti, Hindi Nagar, Vardha – 442003	Member
Nominated by Ministry of Coal		
9	Sh. Bhagwan Singh, 102, Ambuj Tower, Tilakamajhi, Bhagalpur, Bihar-812001	Member
10	Sh. Satyavrat Shastri, Rashtra Gaurav Sadan, House No. 1375, Sector-I, Hudda, Narnol, Distt. Mahendragarh, Haryana-123001.	Member
11	Dr. Prem Sharma Tanmay, 17E/154, Nandanvan, Jodhpur, Rajasthan.	Member
12	Dr. Kunwar Bechain, 2F-52, Nehru Nagar, Ghazaibad, U.P.-201001	Member
Nominated by Department of Official Language		
13	Sh. Ashok Argal, Argal wali gali, Duttpura, Muraina (MP)-476001	Member
14	Pt. Sh. Krishna Mudgil, 85, Orange Drive Maalib, Town, Gurugram (Haryana)	Member
15	Ms. Pranjali Singh, House No. E-11, Sector-12, Noida (UP)	Member
Official Members		
16	Secretary, Ministry of Coal	Member
17	Secretary, Deptt. of Official Language & Hindi Advisor to the Govt. of India	Member
18	Additional Secretary, Ministry of Coal	Member
19	Joint Secretary (RPG), Ministry of Coal	Member

20	Joint Secretary (VB), Ministry of Coal	Member
21	Joint Secretary (VP), Ministry of Coal	Member
22	Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Coal	Member
23	Advisor (Project), Ministry of Coal	Member
24	Economic Advisor, Ministry of Coal	Member
25	Joint Secretary, Deptt. of Official Language	Member
26	Chairman, Coal India Ltd., Kolkata (West Bengal)	Member
27	Chairman-cum-Managing Director, Bharat Coking Coal Ltd., Dhanbad (Jharkhand)	Member
28	Chairman-cum-Managing Director, Central Coalfields Ltd., Ranchi (Jharkhand)	Member
29	Chairman-cum-Managing Director, Eastern Coalfields Ltd., Burdwan, (West Bengal)	Member
30	Chairman-cum-Managing Director, Mahanadi Coalfields Ltd., Sambalpur, (Orissa)	Member
31	Chairman-cum-Managing Director, Northern Coalfields Ltd., Singrauli, (Madhya Pradesh)	Member
32	Chairman-cum-Managing Director, South Eastern Coalfields Ltd. , Bilaspur, (Chhattisgarh)	Member
33	Chairman-cum-Managing Director, Western Coalfields Ltd., Nagpur (Maharashtra)	Member
34	Chairman-cum-Managing Director, Central Mine Planning & Design Institute Ltd., Ranchi (Jharkhand)	Member
35	Chairman-cum-Managing Director, NLC India Ltd., Neyveli (Tamilnadu)	Member
36	Coal Controller, Office of the Coal Controller, Kolkata (West Bengal)	Member
37	Commissioner, Coal Mines Provident Fund Organisation, Dhanbad (Jharkhand)	Member
38	Joint Secretary (Admn./Incharge O.L.), Ministry of Coal	Member-Secy.

2. Functions of the Samiti

The functions of this Samiti will be to render advice to the Ministry of Coal and its subordinate offices / Autonomous bodies / Companies according to the policies formulated by the Kendriya Hindi Samiti and Dept. of Official Language, Ministry of Home Affairs relating to use of Hindi for official purpose.

3. Tenure

The term of Samiti will be ordinarily three years from the date of its constitution, provided that:-

(i) A member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be the member of the Samiti as soon as he ceases to be member of Parliament ;

(ii) Ex-officio Members of the Samiti shall continue to be members as long as they hold office by virtue of which they are the members of the Samiti ;

(iii) If a vacancy arises in the Samiti due to death or resignation from the membership of the Samiti by any member, the member so appointed against that vacancy, shall hold office for the residual term of the three years; and

(iv) In special circumstances, the tenure of the Samiti may be curtailed or enhanced by the Ministry Of Coal.

4. General

(i) The Headquarters of the Samiti will be at New Delhi but it may hold its meetings out of its headquarters at any other place also.

(ii) The Non- official members (except Members of the Parliament) will be given travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Samiti as per guidelines contained in O.M. No. II/22034/04/86-O.L. (Imp.-2) dated 22nd January 1987 and rules and rates as amended from time to time by the Govt. Of India.

(iii) Members of Parliament, who have participated in the Hindi Salahkar Samiti as a non-official member, will be entitled to get travelling/daily allowance as per THE SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT ACT, 1954 AND RULES MADE THEREUNDER.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Aayog, Comptroller & Auditor General of India, Accountant General of Central Revenues, Committee of Parliament on Official Language and all Ministries/Departments of the Government of India and Ministry of Coal and all Companies/ Subordinate offices/ Undertakings / Autonomous Bodies under its control.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. K. SINHA
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई–प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

LAZAR SAGAYA RAJ
Digitally signed by LAZAR SAGAYA RAJ
Date: 2017.01.28 11:19:10 +05'30'